केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–451)

सहयोग योजना का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - vii
प्रथम	अध्ययन संरचना	1 – 7
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	8 – 11
तृतीय	अध्ययन के परिणाम	12 – 31
चतुर्थ	कठिनाइयाँ एवं सुझाव	32 – 35
	परिशिष्ट– I,II,III & IV	36 – 45

———

उद्‌बोधन

राज्य में अनुसूचित जाति के बी.पी.एल.परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की शादी के अवसर पर कन्यादान स्वरूप अनुग्रह/सहायता राशि प्रदान करने के उद्‌देश्य से 1 अप्रेल 2005 से 'सहयोग योजना' प्रारम्भ की गई। योजना का विस्तार 1 अप्रेल 2008 से किया जाकर समस्त बी.पी.एल. परिवारों की 21 वर्ष व अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को प्रति कन्या 10000/– रुपये एवं बी. पी.एल. अनुसूचित जाति की 21 वर्ष से कम की कन्या को भी, प्रति कन्या रूपये 5000/– की सहायता राशि प्रदान कर लाभान्वित करने का प्रावधान रखा गया।

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक 195.30 लाख रुपये व्यय कर 3906 कन्याओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2008–09 में 280.00 लाख रुपये की राशि व्यय कर 3614 कन्याओं को लाभान्वित किया गया। योजना क्रियान्वयन से लाभार्थी वर्ग को मिलने वाले अपेक्षित परिलाभों का आंकलन करने के उद्‌देश्य से प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन किया गया है।

योजना के मूल्यांकन से परिलक्षित हुआ है कि योजना से बी.पी.एल. परिवारों को आर्थिक सम्बल अवश्य प्राप्त हुआ है लेकिन विवाहोत्तर सहायता राशि प्राप्त होने पर समस्त परिवारों द्वारा राशि घरेलू सामान, उधारी/कर्ज चुकाने में करना बतलाया। योजनान्तर्गत विवाह के समय अनुग्रह/सहायता राशि उपलब्ध कराने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में यथास्थान व्यावहारिक सुझाव अंकित किये गये हैं, जो कार्यकारी विभाग के लिए सार्थक रहेंगे।

मुझे विश्वास है कि प्रतिवेदन कार्यकारी विभाग एवं नीति निर्धारकों के लिए सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

तिथि : 28.3.2011
स्थान : जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

आमुख

राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कन्याओं की शादी के अवसर पर अनुग्रह/सहायता राशि प्रदान कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 'सहयोग योजना' क्रियान्वित की जा रही है।

योजना के मूल्यांकन हेतु न्यादर्श पद्धति के आधार पर प्रत्येक संभाग से एक–एक जिले क्रमशः जोधपुर, नागौर, कोटा, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर कुल 7 जिलों का चयन किया गया। चयनित जिलों के 272 लाभार्थी परिवार, 29 सरकारी अधिकारी एवं 16 गैर–सरकारी अधिकारियों/जन–प्रतिनिधियों से योजना की क्रियान्विति के बाबत विभिन्न पक्षों पर जानकारी प्राप्त की गई। राज्य एवं जिला स्तरीय प्रलेखीय अनुसूची द्वारा रिकार्ड सूचनाऐं एकत्रित की जाकर समस्त एकत्रित सूचना का विश्लेषण कर प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में परियोजना क्रियान्वयन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव अंकित किये गये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन पाठकगणों के लिए रूचिकर एवं कार्यकारी विभाग के लिए परियोजना को अधिक प्रभावी, सफल एवं सुदृढ़ बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक – 29.3.2011
स्थान – जयपुर

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सहयोग योजना का मूल्यांकन

निष्पादक संक्षेप

I परिचयात्मक विवरण :

राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सहयोग योजना 1 अप्रेल 2005 से राज्य में आरम्भ की गई। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों की शादी के अवसर पर अनुग्रह स्वरूप नकद राशि के रूप में सहायता प्रदान कर पात्र परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान रखा गया। अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान स्वरूप 5000/– रुपये की राशि प्रदान किये जाने को 1 अप्रेल 2008 से समस्त बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों को जिनकी आयु 21 वर्ष या अधिक होने पर 10000/– रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाकर लाभान्वित किये जाने का प्रावधान रखा गया, साथ में अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों की 18 से 21 वर्ष तक की कन्या को विवाह पर पूर्व की भांति 5000/– रुपये का लाभ देने का प्रावधान रखा गया। उक्त प्रावधानों के तहत वर्तमान में सहयोग योजना का क्रियान्वयन राज्य के समस्त जिलों में किया जा रहा है।

II योजना के उद्देश्य :

सहयोग योजना अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों के विवाह के अवसर पर कन्यादान हेतु अनुग्रह राशि/सहायता राशि प्रदान कर विवाह में सहयोग प्रदान करने से सम्बन्धित है। योजनान्तर्गत लक्षित परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को नियमानुसार अनुग्रह/सहायता राशि बैंक खातों में ड्राफ्ट प्रदान कर लाभान्वित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

III राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

सहयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 में 561 कन्याओं पर 28.05 लाख रुपये, वर्ष 2006–07 में 1431 कन्याओं पर 71.55 लाख रुपये एवं वर्ष 2007–08 में 1914 कन्याओं पर 95.70 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी। इस प्रकार योजनान्तर्गत तीन वर्षों में कुल लाभान्वित 3906 कन्याओं पर कुल 195.30 लाख रुपये की अनुग्रह/सहायता राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2008–09 में 3614 कन्याओं को राशि 280.00 लाख रुपये व्यय कर लाभान्वित किया गया।

IV न्यादर्श परिकल्पना :

सहयोग योजनान्तर्गत प्रत्येक संभाग से एक–एक जिले क्रमशः जोधपुर, नागौर, कोटा, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर 7 जिलों का चयन किया गया। जिलों को चयनित किये जाने के पश्चात् प्रत्येक जिले से दो पंचायत समितियों का चयन किया गया जहाँ वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक के सबसे अधिक लाभ प्राप्तकर्त्ता है। इस प्रकार कुल 272 लाभार्थी, 29 सरकारी एवं 16 गैर–सरकारी अधिकारियों/जन–प्रतिनिधियों से योजना की क्रियान्विति बाबत जानकारी प्राप्त की गई तथा रिकार्ड सूचना एकत्रित कर अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया।

V लाभार्थियों की जातिवार एवं आयु विवरण :

चयनित लाभार्थियों में से अप्रेल 2005 से मार्च 2008 तक 167 (61.40 प्रतिशत) व अप्रेल 2008 से मार्च 2009 तक 61 (22.43 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के परिवार लाभान्वित हुए। अप्रेल 2008 के पश्चात् चयनित लाभार्थी 79 परिवार के थे जिनमें अनुसूचित जाति के 35 (12.86 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के 8 (2.94 प्रतिशत), ओ.बी.सी. के 21 (7.72 प्रतिशत), सामान्य वर्ग के 9 (3.31 प्रतिशत) एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 6 (2.20 प्रतिशत) परिवारों को लाभान्वित किया गया। दो कन्याओं को लाभान्वित किये जाने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति 61, ओ.बी.सी. 3 एवं सामान्य 4 परिवार थे। शेष एक कन्या वाले अनुसूचित जाति 167, अनुसूचित जनजाति 8, ओ. बी.सी. 18, अल्पसंख्यक 6 एवं सामान्य वर्ग के 5 परिवार थे। आयु की दृष्टि में 272 लाभार्थियों में 21 वर्ष तक की अनुसूचित जाति कन्याऐं 193 थी व 21 वर्ष से अधिक की अनुसूचित जाति 35, अनुसूचित जनजाति 8, ओ.बी.सी. 21, अल्पसंख्यक 6 एवं सामान्य 9 कन्याऐं थी।

VI परिवार का आकार :

21 वर्ष से अधिक आयु के कुल 79 लाभार्थी परिवारों में से अनुसूचित जाति के 35 परिवारों में 56 पुरूष, 56 महिलाएं एवं 107 बच्चे, अनुसूचित जनजाति के 8 परिवारों में 16 पुरूष, 12 महिलाएं एवं 17 बच्चे, ओ.बी.सी. के 21 परिवारों में 24 पुरूष, 36 महिलाएं एवं 68 बच्चे, अल्पसंख्यक 6 परिवार में 5 पुरूष, 7 महिलाएं एवं 22 बच्चे तथा सामान्य जाति के 9 परिवारों में 10 पुरूष, 21 महिलाएं एवं 19 बच्चे पाये गये। इस प्रकार सर्वाधिक बच्चों की संख्या क्रमशः अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति के परिवारों में पायी गई।

VII लाभार्थी परिवारों का व्यवसाय :

चयनित 272 लाभार्थियों में से सर्वाधिक 184 (67.65 प्रतिशत) मजदूरी करने वाले थे, कृषि करने वाले 44 (16.17 प्रतिशत), नौकरी करने वाले 5 (1.84 प्रतिशत) लाभार्थियों में से बांसवाड़ा का 1 लाभार्थी राजस्थान राज्य विद्युत निगम में नौकरी एवं शेष 4 प्राइवेट नौकरी करने वाले पाये गये, सभी लाभार्थी बी.पी.एल. परिवार के पाये

गये, दस्तकारी व्यवसाय करने वाले 36 (13.24 प्रतिशत) पाये गये। 3(1.10 प्रतिशत) बी.पी.एल. परिवारों द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा था, उनमें से 1 को वृद्धावस्था पेंशन तथा 2 कन्याओं के माता–पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उनके परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं था, वे अपने चाचा पर आश्रित पायी गयी। गौण व्यवसाय में सबसे अधिक 30 (11.03 प्रतिशत) लाभार्थी मजदूरी करने वाले पाये गये। कृषि में कार्यरत 26 (9.56 प्रतिशत), पशुपालन व्यवसाय में 10 (3.68 प्रतिशत) एवं दस्तकारी व्यवसाय में 10 (3.68 प्रतिशत) व्यवसाय में कार्यरत पाये गये। समग्र रूप से मजदूरी करने वाले 67.65 प्रतिशत परिवार पाये गये।

VIII योजना की जानकारी :

चयनित 272 लाभार्थियों में से 117 (43.01 प्रतिशत) को सरपंच/पार्षद/ग्राम पंचायत के चयनित जन–प्रतिनिधियों से, 64 (23.53 प्रतिशत) को छात्रावास वार्डन/एल.डी.सी. से, 45 (16.54 प्रतिशत) को रिश्तेदार/मित्रों से, 39 (14.34 प्रतिशत) को जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से एवं 12 (4.41 प्रतिशत) को समाचार पत्र तथा कैम्प के माध्यम से योजना की जानकारी प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि एक भी लाभार्थी को योजना की पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया, अधिकांश लाभार्थियों को पंचायत समिति स्तर से ही योजना की जानकारी प्राप्त हो गई। योजना से लक्षित समूह को लाभान्वित करने हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में अबूझ सावों पर शादियाँ होती है, इन अवसरों के आस–पास पम्पलेट, कैम्प, ग्रामीण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर योजना की जानकारी आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की आवश्यकता जान पड़ती है।

IX आवेदन प्रक्रिया :

चयनित उत्तरदाताओं में से 16 (5.88 प्रतिशत) ने वर्ष 2005, 71 (26.10 प्रतिशत) ने 2006, 64 (23.53 प्रतिशत) ने 2007, 109 (40.07 प्रतिशत) ने 2008 एवं 12 (4.42 प्रतिशत) ने वर्ष 2009 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे। विवाह के पूर्व 139 (51.10 प्रतिशत) ने एवं विवाह के पश्चात् 133 (48.90 प्रतिशत) लाभार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। आवेदन पत्र भरने में कठिनाई के सम्बन्ध में कुल चयनित उत्तरदाताओं में से 28 (10.29 प्रतिशत) ने आयु प्रमाण पत्र बनवाने, 24 (8.82 प्रतिशत) ने निरक्षर होने पर आवेदन पत्र भरने में एवं 11 (4.04 प्रतिशत) ने जन–प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन पर अनुषंशा करने के सम्बन्ध में कठिनाई बतलाई। इस प्रकार आवेदन पत्र भरने में लाभार्थियों को कठिनाई महसूस होना पाया गया। यहाँ भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आवेदन पत्र प्राप्त व जमा कराने के लिए आवेदक को जिला कार्यालय पर आना पड़ता है। आवेदन पत्र प्राप्त व जमा कराने की सुविधा छात्रावास अधीक्षक/विकास अधिकारी, पंचायत समिति स्तर पर कराने की व्यवस्था पर विभाग को ध्यान देना चाहिए।

X **लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की प्रक्रिया में लगने वाला समय अन्तराल :**

चयनित लाभार्थियों में से 15 (5.51 प्रतिशत) को 1 माह में, 47 (17.28 प्रतिशत) को 1–2 माह में, 52 (19.12 प्रतिशत) को 2–3 माह में, 30 (11.03 प्रतिशत) को 3–4 माह में, 48 (17.66 प्रतिशत) को 4–6 माह में, 40 (14.70 प्रतिशत) को 6–9 माह में एवं 40 (14.70 प्रतिशत) को 9 माह से अधिक समय में आवेदन के पश्चात् राशि को प्राप्त करने में समय लगा। इस प्रकार 158 (58.9 प्रतिशत) को राशि का भुगतान प्राप्त करने में 3 माह से अधिक का समय लगना पाया गया। लाभार्थियों ने अवगत कराया कि उनको विवाह के काफी समय पश्चात् भी जिला कार्यालय/विभाग के कई चक्कर लगाने पर सहायता राशि का ड्राफ्ट प्राप्त हुआ। विभाग को राशि का भुगतान विवाह के समय पर करवाये जाने पर ही योजना की उपयोगिता साबित हो सकती है।

XI **लाभार्थियों द्वारा विवाह के पूर्व आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय अन्तराल :**

कुल चयनित 272 उत्तरदाताओं में से 139(51.10 प्रतिशत) ने लाभ लेने के लिए जिला कार्यालय में विवाह के पूर्व आवेदन किया था। विवाह के पूर्व आवेदन करने वाले लाभार्थियों में से 9 (6.47 प्रतिशत) के आवेदन पत्रों में कमियाँ पायी गई जिनका निराकरण देरी से होने के कारण विवाह के काफी समय पश्चात् भुगतान किया जाना पाया गया। लाभार्थी के विवाह के पूर्व आवेदन करने के पश्चात् भी 11 (7.91 प्रतिशत) को 1 माह, 19 (13.67 प्रतिशत) को 1–2 माह, 20 (14.39 प्रतिशत) को 2–3 माह, 20 (14.39 प्रतिशत) को 3–4 माह, 26 (18.70 प्रतिशत) को 4–6 माह, 20 (14.39 प्रतिशत) को 6–9 माह एवं 23 (16.55 प्रतिशत) को 9 माह से अधिक समय में राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार 89 (64.03 प्रतिशत) को विवाह के पूर्व आवेदन करने के पश्चात् भी 3 माह से अधिक समय में राशि का भुगतान किया जाना पाया गया। यद्यपि अधिकारियों ने पर्याप्त स्टाफ का अभाव, कार्य अधिकता एवं समय पर बजट की समस्या से अवगत कराया। योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु पंचायत समिति स्तर पर सम्बन्धित आवेदन पत्रों का ससमय निपटारा कराया जाकर सहायता राशि का भुगतान समय पर करवाये जाने हेतु विचार किया जाना चाहिए।

XII **लाभार्थियों द्वारा विवाह के पश्चात् आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय अन्तराल :**

चयनित 272 आवेदकों में से 133 (48.89 प्रतिशत) ने विवाह के पश्चात् आवेदन किया उनमें से 6 (4.51 प्रतिशत) के आवेदन पत्रों में कमियाँ पाई गई उनको निराकरण के पश्चात् भुगतान में काफी समय लगना पाया गया। विवाह के पश्चात् आवेदन किये जाने वाले 4 (3.00 प्रतिशत) को 1 माह, 28 (21.05 प्रतिशत) को 1–2 माह, 32 (24.06

प्रतिशत) को 2–3 माह, 10 (7.52 प्रतिशत) को 3–4 माह, 22 (16.54 प्रतिशत) को 4–6 माह, 20 (15.04 प्रतिशत) को 6–9 माह एवं 17 (12.79 प्रतिशत) को 9 माह से अधिक का समय लगना पाया गया। इस प्रकार 69 (51.88 प्रतिशत) को 3 माह से अधिक समय आवेदन करने के पश्चात् भुगतान में लगना पाया गया।

XIII सहायता राशि के भुगतान सम्बन्धी विवरण :

योजनान्तर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान शत–प्रतिशत लाभार्थियों ने ड्राफ्ट द्वारा करना बतलाया है, जबकि योजना के प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर आहरित राशि कन्या के नाम से उसके बैंक खाते में जमा कराने का प्रावधान रखा गया है। विभाग द्वारा विशेष कारण से ही भुगतान ड्राफ्ट से किये जाने का प्रावधान रखा गया है। यह पाया गया है कि विभाग ड्राफ्ट बनाकर रख लेते है, ड्राफ्ट हेतु आवेदक को विभाग के बार–बार चक्कर लगाने पड़ते है एवं राशि का भुगतान काफी समय बाद हो पाता है, जो योजना के उद्देश्य (विवाह के अवसर पर अल्पावधि में राशि प्रदान करने के) की पूर्ति नहीं करता है। विभाग को विकास अधिकारी/पंचायत समिति को एक मुश्त राशि आवंटित कर विकास अधिकारी के मार्फत कन्या के विवाह पर ही राशि प्रदान करने की व्यवस्था की जा सकती है ताकि राशि का वितरण/उपयोग विवाह के अवसर पर अल्प समय में किया जा सके एवं योजना के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। पंचायत समिति से उपयोग राशि के यू.सी. प्राप्त करने के प्रावधान से राशि वितरण प्रक्रिया सरल हो सकेगी एवं लाभार्थी को समय पर सहायता राशि प्राप्त हो सकेगी।

XIV अनुदान राशि की पर्याप्तता एवं अपेक्षात्मक राशि :

चयनित उत्तरदाताओं में से 270 (99.26 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने सहयोग योजनान्तर्गत मिलने वाली राशि को अपर्याप्त बतलाया। 175 (64.81 प्रतिशत) ने राशि 20000–30000 रुपये, 51 (18.89 प्रतिशत) ने 30000–40000 रुपये, 39 (14.44 प्रतिशत) ने 40000–50000 रुपये एवं 5 (1.86 प्रतिशत) ने 50000 रुपये से अधिक सहायता प्रदान करने हेतु इच्छा व्यक्त की। चयनित उत्तरदाताओं में से अपर्याप्त राशि बताने वाले 270 (99.26 प्रतिशत) लाभार्थियों ने वर्तमान मंहगाई को देखते हुए शादी में अधिक खर्चा होने से कर्ज ज्यादा लेना बतलाया। यदि राज्य स्तर पर योजनान्तर्गत अधिक राशि प्रदान कर दी जाती है तो उनको आर्थिक सहयोग के साथ आर्थिक तंगी और परेशानी का कम सामना करना पड़ सकता है।

XV अन्य विशेष विवरण :

(i) सहयोग योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में उपलब्ध होते हैं जबकि अधिकांश लाभार्थी ग्रामीण स्तर के पाये गये हैं। जिला स्तर से आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं भरकर देने में लाभार्थियों द्वारा कठिनाई महसूस की गई है। सहयोग योजना में लाभ लेने हेतु ग्रामवासियों को ग्राम स्तर पर पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/छात्रावास अधीक्षक/विकास अधिकारी कार्यालय (करिश्मा योजना) में आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं भरकर प्रस्तुत करने की सुविधा होनी चाहिए ताकि लाभार्थी को जिले के कार्यालय में बार–बार आने की असुविधा नहीं हो विभाग को इस पर विचार करना चाहिए।

(ii) योजना का लाभ उन्हीं गांवों/क्षेत्रों में ज्यादा पाया गया जहाँ पर जागरूक व्यक्ति ज्यादा है। जहाँ पर जागरूक व्यक्ति नहीं है वहाँ के व्यक्ति योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं अतः योजना का लाभ बी.पी.एल. अन्त्योदय परिवार तक पहुंचाने हेतु ग्राम/पंचायत समिति स्तर पर योजना का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

(iii) योजनान्तर्गत लाभ लेने वाले लाभार्थियों के निरक्षर होने के कारण आवेदन पत्र भरने, आयु प्रमाण पत्र बनवाने एवं अनुशंषा करवाने में कठिनाई आना बतलाया। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि लाभार्थियों को आवेदन पत्र भरवाने एवं सरपंच/पार्षद/वार्ड पंच/राज्य कर्मचारी को आवेदन पत्र पर अनुशंषा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iv) सहयोग योजनान्तर्गत लाभ लेने वाले उत्तरदाताओं को आवेदन पत्रों को कन्या के विवाह तिथि से एक माह पूर्व एवं छः माह बाद तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। जिला अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 7 दिवस में तथ्यों की जाँच करवाकर 15 दिन में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान किये जाने का प्रावधान रखा गया है परन्तु विभाग निर्धारित नियमों की पालना नहीं करवा सका है। लाभार्थी को कन्या के विवाह के अवसर पर अल्प समय में राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि छात्रावास अधीक्षक/ पंचायत समिति स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा अधूरे आवेदन पत्र तुरन्त ही आवश्यक पूर्ति हेतु आवेदक को लौटा देने चाहिए। अधूरे आवेदन पत्र लम्बे समय तक कार्यालय में लम्बित रहने से कमी पूर्ति में देरी तथा भुगतान में देरी हो जाती है।

(v) सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान सहायता राशि का भुगतान कन्या के नाम से बैंक खाते में जमा कराये जाने का प्रावधान रखा गया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सभी जिलों द्वारा राशि का भुगतान कन्या के नाम ड्राफ्ट द्वारा किया जा रहा है जो विभागीय नियमों/प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में बी.पी. एल. परिवार के माता–पिता जिनके द्वारा कन्या की शादी पर राशि खर्च की जा रही है, सहयोग राशि का भुगतान बी.पी.एल. परिवार के माता–पिता को ही दिया जाना चाहिए ताकि सहयोग राशि को कन्या के विवाह पर खर्च करने में माता–पिता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सहयोग राशि का भुगतान ड्राफ्ट/चैक किसी माध्यम से हो लेकिन शादी के समय हो तो कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पडेगें एवं राशि का उपयोग समय पर होने से योजना अधिक उपयोगी साबित होगी।

XV सारांश :

योजना की उपयोगिता को देखते हुए अप्रेल,2005 से अनुसूचित जाति बी0पी0एल0 परिवारों के लिए प्रारम्भ योजना का अप्रेल 2008 में बजट घोषणा द्वारा विस्तार किया जाकर सभी बी0पी0एल0 परिवारों को योजनान्तर्गत समावेशित किया गया। सैम्पल आधार पर चयनित लाभार्थियों से जानकारी प्राप्त हुई कि एक भी परिवार को योजना की पूर्ण जानकारी नहीं है। योजना की जानकारी के स्त्रोत छात्रावास अधीक्षक, सम्बन्धी, रिश्तेदार, ग्राम पंचायत व अन्य स्त्रोत रहे है तथा आवेदन पत्र भी विभिन्न स्तरों से भरवाये गये है जिनके फलस्वरूप आवेदन पत्रों में कुछ कमियाँ भी विभाग ने चिन्हित् कर दुरस्ती उपरान्त भुगतान किया गया है। आवेदन करने के बाद नियमानुसार 15 दिवस की अवधि में भुगतान नहीं हो पाया है। यद्यपि स्टाफ की कमी एवं कार्य अधिकता के मध्यनजर भुगतान की अवधि आवेदन/शादी के छः माह से अधिक पायी। भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है जिसके लिए आवेदनकर्त्ता विभाग के बार–बार चक्कर लगाता है। इस प्रकार राशि का उपयोग योजना के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो पाता है। अधिकांश अनुसूचित जाति परिवारों को रुपये 10,000/– का लाभ लेने की जानकारी नहीं हो पायी है। अन्य जातियों के बी.पी.एल. परिवारों ने भी योजना का लाभ उठाया है। बी.पी.एल. परिवारों को आर्थिक सहायता से सम्बल मिला है लेकिन विवाह के समय राशि उपलब्ध करायी जावे तो अधिक उपयोगी साबित होगी। विवाहोत्तर सहायता राशि प्राप्त होने पर 50.37 प्रतिशत परिवारों ने घरेलू सामान/खर्चे एवं 49.63 प्रतिशत परिवार शादी की उधारी/कर्ज चुकाने पर व्यय करना पाया गया। योजना के प्रचार–प्रसार एवं समय पर सहायता राशि भुगतान कराने की आवश्यकता जान पड़ती है। नवीन परिपेक्ष्य में विभाग का कार्य जिला परिषदों को हस्तान्तरित की प्रक्रिया में है जिससे पंचायत समिति स्तर पर ही योजनान्तर्गत आवेदन पत्र एकत्र करने से सहायता राशि वितरण पक्ष पर कार्य होने से योजना प्रभावी रूप से संचालित किये जाने पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

————

अध्याय – प्रथम

अध्ययन संरचना

1.1.0 परिचयात्मक विवरण :

1.1.1 आजादी के समय से ही भारत सरकार एवं राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के आर्थिक स्तर को सुदृढ़ करने हेतु प्रयासरत रही है। अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि करने तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करने हेतु राज्य में वर्ष 1951–52 में ''पिछड़ी जाति कल्याण विभाग'' की स्थापना की गयी, वर्ष 1955–56 में इसका नाम ''समाज कल्याण विभाग'' रखा गया, वर्ष 2007–08 में नाम बदलकर ''सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग'' रखा गया। समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन, वृद्ध, विमुक्त एवं घुमन्तु के साथ विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। इसी क्रम में ''सहयोग योजना'' का प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से किया गया जिसके तहत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल.परिवारों की पुत्रियों की शादी के अवसर पर अनुग्रह स्वरूप नकद राशि के रूप में सहायता प्रदान कर पात्र परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान रखा गया।

1.2.0 सहयोग योजना :

1.2.1 योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी के अवसर पर अनुगृह राशि/सहायता राशि प्रदान कर विवाह में सहयोग देने हेतु ''सहयोग योजना'' 1 अप्रेल 2005 से राज्य में प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान स्वरूप 5000/– रुपये की राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान रखा गया। इस योजना का विस्तार किया जाकर 1 अप्रेल,2008 से समस्त बी.पी.एल.परिवारों की पुत्रियों को जिनकी आयु 21 वर्ष या अधिक होने पर 10000/– रुपये सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार योजनान्तर्गत समस्त बी.पी.एल.परिवारों की 21 वर्ष से अधिक की कन्याओं के शादी के अवसर पर लाभान्वित किये जाने का प्रावधान रखा गया। अनुसूचित जाति के बी.पी.एल.परिवारों की 18 से 21 वर्ष तक की आयु की कन्या के विवाह पर पूर्व की भांति 5000 रुपये प्रदान किये जाने का (यह लाभ पूर्व की भांति ही लाभान्वित किये जाने का प्रावधान रखा गया) लाभ केवल अनुसूचित जाति के बी.पी.एल.परिवारों को ही देय हो सकेगा।

1.3.0 **सहयोग योजना में लाभ लेने हेतु आवेदन पात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया :**

1.3.1 सहयोग योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं को राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भरने के पश्चात् निम्न शर्तों को पूर्ण किये जाने का प्रावधान रखा गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रक्रिया :

(i) सहायता/अनुगृह राशि प्राप्त किये जाने हेतु 1 अप्रेल 2005 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व से एक माह बाद तक सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा। 1 अप्रेल,2007 से विभाग द्वारा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए विवाह के छः माह पश्चात् तक आवेदन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ii) आवेदक को बी.पी.एल. कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा चयनित सूची क्रमांक अंकित करना होगा।

(iii) सहयोग योजना नियम 2005 के अनुसार आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति का सदस्य होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा (तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा)।

(iv) आवेदन पत्र के साथ सदस्य पंचायत समिति/जिला परिषद/वार्ड सदस्य (पार्षद), अध्यक्ष, नगर पालिका/नगर परिषद्, महापौर, नगर निगम के माध्यम से विधायक/प्रधान की अभिशंषा पर ही राशि स्वीकृत की जायेगी।

(v) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्त्ता अपना आवेदन सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी को अथवा विकास अधिकारी, पंचायत समिति के माध्यम से कर सकते है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्राप्त आवेदनों को जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

(vi) जिला अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के तथ्यों की जाँच विभाग के छात्रावास अधीक्षक (निकटस्थ) से करायी जायेगी। तत्सम्बन्धी कार्यवाही आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिवस में पूर्ण की जाकर 15 दिन में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान किया जावेगा। 1 अप्रेल,2007 से जाँच नियम में शिथिलता प्रदान की गई है। आवेदन पत्र की जाँच जिला अधिकारी स्वयं द्वारा अथवा जिले के परिवीक्षा अधिकारी अथवा कार्यालय के किसी कर्मचारी से अथवा हल्का पटवारी/ग्रामसेवक (ग्रामीण क्षेत्र में) से अथवा नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम से सम्बन्धित वार्ड के ओवरसियर/सुपरवाईजर/कनिष्ठ अभियन्ता से करायी जा सकती है।

(vii) स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर आहरित राशि कन्या के नाम से उसके बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।

(viii) यदि किसी विशेष कारण से आवेदक के घर पर भुगतान ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है तो उसका प्रमाणीकरण क्षेत्रीय विधायक/सरपंच/सदस्य, जिला परिषद/ सदस्य, पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा।

(ix) 1 अप्रेल,2007 को नियमों में संशोधन करते हुए कन्या की आयु 18 वर्ष से कम नही हो की जाँच नियम में स्कूल का आयु प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची में कन्या का नाम अंकित होने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा राशन कार्ड के आधार पर कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होने की स्थिति में आयु के सम्बन्ध में अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता समाप्त की गई तथा कन्या का विवाह सम्पन्न हुआ अथवा नहीं के सम्बन्ध में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जाँच की आवश्यकता नही रखी गई।

(x) इस प्रकार 1 अप्रेल,2007 से बी.पी.एल. कार्डधारी के पारिवारिक आय की जाँच करने की आवश्यकता नहीं रखी हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का कमाऊ पुत्र होने की जाँच बी.पी.एल. कार्डधारी के लिए आवश्यक नही हैं।

(xi) परिवार की अधिकतम प्रथम दो कन्या सन्तानों के विवाह के लिए सहायता देय होगी।

(xii) माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2008–09 की बजट घोषणा की अनुपालना में सहयोग योजनान्तर्गत 1 अप्रेल,2008 से 18 से 21 वर्ष तक की कन्या के विवाह पर पूर्व की भाँति राशि 5000/– प्रदान की जाती रहेगी (यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों को ही देय हो सकेगा)।

(xiii) 1 अप्रेल 2008 के पश्चात् समस्त बी.पी.एल. परिवारों की कन्या जिसकी आयु 21 वर्ष व इससे अधिक हो के विवाह पर अनुदान राशि 10000/– रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

1.4.0 **योजना के उद्देश्य :**

1.4.1 अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवार की पुत्री के विवाह में कन्यादान की सहयोग योजना 1 अप्रेल 2005 से राज्य में प्रारम्भ की गई। कन्या को अनुग्रह राशि प्रदान कर उनकी सहायता करना है। योजनान्तर्गत लक्षित परिवार की दो कन्याओं को प्रत्येक को 5,000/– रुपयों की तथा 1 अप्रेल 2008 से 21 वर्ष व इससे अधिक आयु की दो कन्याओं के विवाह पर प्रत्येक को 10,000/– रुपयों की राशि बैंक खातों में/ड्राफ्ट प्रदान कर लाभान्वित करना है।

1.5.0 **योजना को लागू करने हेतु सक्षम अधिकारी :**

1.5.1 ''सहयोग योजना'' को लागू करने हेतु इनके नियमों एवं कार्यक्रम के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी ''सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग'' के जिला कार्यालयों में पदस्थापित जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं।

1.6.0 **सहयोग योजना के लिए पात्रताऐं :**

(i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।

(ii) आवेदक अनुसूचित जाति का हो बी.पी.एल. परिवार से हो।

(iii) समस्त बी.पी.एल. पर जिनकी कन्या 21वर्ष या अधिक उम्र की हो प्रावधान 1–4–2008 से प्रभावी है।

(iv) उक्त वर्णित परिवार की अधिकतम प्रथम 2 कन्या के लिए ही यह सहायता देय होगी।

1.7.0 **योजना संचालन एवं वित्तीय प्रबन्धन :**

1.7.1 योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) अनुसूचित जाति के परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया :–

(i) अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों की 18 से 21 वर्ष तक की आयु की प्रत्येक कन्या (दो से अधिक न हो) की शादी के लिए पाँच–पाँच हजार रुपये की राशि दिये जाने तथा 1 अप्रेल,2008 से समस्त बी.पी.एल. परिवार की 21 वर्ष व इससे अधिक आयु की कन्या के लिए अनुदान की राशि 10000/– रुपये देने का प्रावधान रखा।

(ii) स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर आहरित राशि कन्या के नाम से उसके बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।

(iii) जिला अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को मासिक रूप से भिजवाया जायेगा।

(iv) निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक बजट का आवंटन किया जाता है।

1.8.0 **योजना की प्रगति :**

1.8.1 राज्य में सहयोग योजना का प्रारम्भ समाज कल्याण विभाग द्वारा 1 अप्रेल 2005 से किया गया जिसमें वित्त वर्ष 2005–06 में कुल 561, 2006–07 में कुल 1431 तथा 2007–08 में कुल 1914 विवाह योग्य कन्याओं को राज्य में लाभान्वित किया गया तथा इनके विरूद्ध वर्ष 2005–06 में 28.05 लाख रुपये, वर्ष 2006–07 में 71.55 लाख रुपये तथा वर्ष 2007–08 में 95.70 लाख रुपये अनुदान राशि व्यय की गयी। जिलेवार सहयोग योजनान्तर्गत लाभान्वित विवाह योग्य कन्याओं पर व्यय की गई राशि को **परिशिष्ट–I** पर दर्शाया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में राशि रुपये 150.00 लाख का प्रावधान किया गया जिसकी तुलना में राशि रुपये 280.00 लाख रुपये व्यय किये गये एवं कुल 3614 कन्याओं को लाभान्वित किया गया।

1.9.0 **योजना का प्रशासनिक ढ़ाँचा :**

1.9.1 सहयोग योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण/अधीन संचालित है। जिला स्तर पर योजना का संचालन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग समिति का गठन किया जाकर योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करने का प्रावधान किया गया जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् तथा समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समिति के सदस्य होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जायेगी तथा समिति अपने सुझावों तथा आवश्यकताओं से आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत करवायेगें।

1.10.0 **नियमों में शिथिलता :**

1.10.1 इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ही मान्य होगा।

1.11.0 **मूल्यांकन की आवश्यकता :**

1.11.1 प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुशंसा पर शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार ''सहयोग योजना'' का अध्ययन राज्य के मूल्यांकन संगठन विभाग द्वारा किया गया।

1.12.0 **मूल्यांकन के उद्देश्य :**

1.12.1 सहयोग योजना में उपलब्ध सुविधाओं के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :–

(i) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।

(ii) विवाह पर कन्याओं को उपलब्ध करवायी गई राशि में आवेदन से लेकर वितरण में लगने वाला समय व भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा करना।

(iii) सहयोग योजना से लाभान्वित बी.पी.एल. परिवारों की पात्रता, प्राप्त राशि का सत्यापन तथा सहायता राशि के उपयोग की समीक्षा करना।

(iv) योजना के संचालन में आ रही कठिनाइयों को ज्ञात करना एवं उनके निराकरण हेतु व्यावहारिक सुझाव देना।

1.13.0 न्यादर्श परिकल्पना :

1.13.1 सहयोग योजना राज्य के समस्त जिलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना को वर्ष 2005–06 से राज्य में प्रारम्भ किया गया है। अध्ययन हेतु न्यादर्श का चुनाव करने हेतु प्रथम स्तर पर समस्त जिलों को संभागवार सुव्यवस्थित किया गया, तत्पश्चात् प्रत्येक संभाग से वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक लाभान्वितों में से जहाँ अधिकतम लाभान्वित कन्या हो, उस जिले का चयन किया गया जिसे **परिशिष्ट–II** पर दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक संभाग से एक–एक जिले क्रमशः जोधपुर, नागौर, कोटा, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर 7 जिलों का चयन किया गया। जिलों को चयनित किये जाने के पश्चात् प्रत्येक जिले से दो पंचायत समितियों का चयन किया गया जहाँ वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक के सबसे अधिक लाभ प्राप्तकर्त्ता है। प्रत्येक पंचायत समिति से अधिकतम 10–10 (31 मार्च 2007 तक 4, अप्रेल 2007 से मार्च 2008, अप्रेल 2008 से मार्च 2009 तक प्रत्येक वर्ष में 3–3 लाभार्थी) अथवा पंचायत समिति में उपलब्ध अधिकतम लाभान्वित परिवार/ कन्याओं से साधारण न्यादर्श प्रणाली से चयन कर अनुसूचियाँ भरी गई। इस प्रकार एक जिले में कुल 20 लाभार्थियों/ विवाहित कन्याओं के परिवारों से अनुसूचियाँ भरी गयी है।

1.14.0 अध्ययन हेतु निर्धारित अनुसूचियाँ :

1.14.1 सहयोग योजनान्तर्गत विवाह योग्य कन्याओं को प्राप्त लाभ की समीक्षा बाबत सूचना/तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रयुक्त की गई :–

(1) **राज्य एवं जिला प्रलेख अनुसूची :**
इस अनुसूची में सहयोग योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सूचनाओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से राज्य प्रलेख अनुसूची में तथा जिला स्तरीय सूचनाओं हेतु जिला प्रलेख अनुसूची में एकत्रित की गई।

(2) **लाभार्थी अनुसूची/परिवार अनुसूची :**
इस अनुसूची में लाभार्थी परिवार से सहयोग योजना में लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र भरने, स्वीकृति राशि की पर्याप्तता, समय पर प्राप्ति, राशि का उपयोग, लाभार्थी परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, रहन–सहन का स्तर तथा राशि प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयाँ एवं सुझाव तथा उनके निराकरण हेतु प्राप्त सुझावों का समावेश किया जाकर सूचनाएं एकत्रित की गई।

(3) **अधिकारी/गैर–अधिकारी अनुसूची :**
इस अनुसूची में चयनित जिलों में सहयोग योजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों एवं गैर–सरकारी अधिकारियों से विचार–विमर्श कर प्राप्त जानकारियों एवं तथ्यों से सम्बन्धित सूचनाएँ प्राप्त कर अनुसूचियाँ भरी गई।

(4) **अवलोकन टिप्पणी :**
अध्ययन के क्षेत्र कार्य में कार्यरत अधिकारी एवं अन्वेषक द्वारा सहयोग योजना से सम्बन्धित अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप क्षेत्रीय स्थिति की अवलोकन टिप्पणी प्राप्त की गई है जिसका समावेश यथास्थान प्रतिवेदन में किया गया है।

1.15.0 **संदर्भ अवधि :**

1.15.1 अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य हेतु प्रलेख सूचनाऐं वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक की प्राप्त की गई तथा लाभार्थियों एवं कार्यकारियों के विचार एवं अवलोकित तथ्य सर्वेक्षण तिथि के अनुसूचियों में अंकित किये गये।

———

अध्याय– द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1.0 योजना की प्रगति :

2.1.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सहयोग योजना का संचालन राज्य के समस्त जिलों में 1 अप्रेल 2005 से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी के अवसर पर अनुगृह राशि/ सहायता राशि 5000/–रूपये दिये जाने का प्रावधान रखा गया। इस योजना का विस्तार 1 अप्रेल 2008 में किया जाकर समस्त बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों को जिनकी आयु 21 वर्ष या अधिक होने पर 10000/–रूपये की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान रखा गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से राज्य स्तरीय प्रलेख अनुसूची में सूचनाएँ प्रदान की जानी थी जो विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन में अंकित सूचना एवं विभाग शाखा द्वारा उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग किया गया है। चयनित सातों जिलों से जिला स्तरीय प्रलेख अनुसूची में एकत्रित की गयी सूचनाओं के आधार पर प्राप्त विवरण का विस्तृत वर्णन इस अध्याय में निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है।

2.2.0 राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

2.2.1 सहयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक जिलों में लाभान्वित कन्याओं एवं व्यय की गई बजट राशि का विवरण **परिशिष्ट–I** पर दर्शाया गया है। योजनान्तर्गत वर्षवार व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्षवार लाभार्थी एवं व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं	वर्ष	लाभान्वित संख्या	व्यय राशि (लाख रूपयों में)
1	2005–06	561	28.05
2	2006–07	1431	71.55
3	2007–08	1914	95.70
	कुल योग	**3906**	**195.30**

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध सूचनानुसार

2.2.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 में 561 कन्याओं पर 28.05 लाख रुपये, वर्ष 2006–07 में 1431 कन्याओं पर 71.55 लाख रुपये एवं वर्ष 2007–08 में 1914 कन्याओं पर 95.70 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी। इस प्रकार तीन वर्षों में कुल लाभान्वित 3906 कन्याओं पर कुल 195.30 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की गई। इस प्रकार प्रति कन्या को 5000 रुपये की अनुग्रह राशि से लाभान्वित किया जाना पाया गया। इस प्रकार सहयोग योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष उत्तरोतर राशि में बढ़ोतरी हुई है जिससे स्पष्ट है कि लाभान्वितों पर व्यय की जाने वाली राशि जो योजना के प्रति लाभान्वितों के बढ़ते रूझान को दर्शाता है।

2.3.0 चयनित जिलों में सहयोग योजनान्तर्गत लाभान्वित कन्याओं पर व्यय की गई राशि का विवरण :

2.3.1 सहयोग योजनान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चयनित जिलों में योजना आरम्भ किये जाने के पश्चात् लाभान्वित कन्याओं पर व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित जिलों में सहयोग योजनान्तर्गत लाभान्वित कन्याओं पर व्यय की राशि का वर्षवार विवरण

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं	चयनित जिला	कुल पंचायत समिति (संख्या)	लाभान्वित कन्याऐं एवं वर्षवार व्यय की गई राशि							
			2005–06		2006–07		2007–08		योग	
			लाभान्वित कन्याऐं (संख्या)	व्यय राशि	लाभान्वित कन्याऐं (संख्या)	व्यय राशि	लाभान्वित कन्याऐं (संख्या)	व्यय राशि	लाभान्वित कन्याऐं (संख्या)	व्यय राशि
1	अलवर	14	65	3.25	103	5.15	180	9.00	348	17.4
2	बांसवाड़ा	8	20	1.00	37	1.85	16	0.80	73	3.65
3	भरतपुर	10	60	3.00	180	9.00	200	10.00	440	22.00
4	श्रीगंगानगर	7	30	1.50	120	6.00	293	14.65	443	22.15
5	जौधपुर	10	12	0.60	32	1.60	54	2.70	98	4.90
6	कोटा	5	119	5.95	119	5.95	53	2.65	291	14.55
7	नागौर	11	42	2.10	40	2.00	65	3.25	147	7.35
	योग	**65**	**348**	**17.40**	**631**	**31.55**	**861**	**43.05**	**1840**	**92.00**

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्राप्त सूचनानुसार

2.3.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित सातों जिलों में वर्ष 2005–06 में 348 कन्याओं को 17.40 (18.91 प्रतिशत) लाख रूपये, 2006–07 में 631 कन्याओं को 31.55 (34.30 प्रतिशत) लाख रूपये व 2007–08 में 861 कन्याओं को 43.05 (46.79 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि कन्याओं के विवाह के उपलक्ष में अनुदान/अनुग्रह स्वरूप प्रदान की गई। इस प्रकार वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 1840 कन्याओं को 92.00 लाख रुपये की राशि अनुदान/अनुग्रह स्वरूप प्रदान

की गई। इस प्रकार प्रतिवर्ष व्यय की गई राशि में उत्तरोतर बढ़ोतरी हुई है लेकिन लाभान्वितों की संख्या पर नजर डाली जावें तो सातों जिलों में पंचायत समिति संख्या 65 है तथा कुल लाभान्वितों की संख्या 1840 रही है। औसतन प्रति पंचायत समिति 28 संख्या की गणना होती है। इस दृष्टि से योजना का विस्तार समस्त क्षेत्र में नहीं हो पाया है।

2.3.3 तालिका के विश्लेषण किये जाने से स्पष्ट है कि वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2006–07 में कुल व्यय की गई राशि में बढ़ोतरी हुई है परन्तु नागौर जिले में वर्ष 2005–06 में व्यय की गई राशि 2.10 लाख की तुलना में वर्ष 2006–07 में 2.00 लाख रूपये की राशि ही व्यय की गई है जो पूर्व की तुलना में 4.76 प्रतिशत कम है। वर्ष 2007–08 में बांसवाड़ा में 2005–06 में 1.00 लाख रूपये की तुलना में वर्ष 2007–08 में 0.80 लाख रूपये 20 प्रतिशत कम (जिला जनजाति बाहुल्यता वाला है) तथा कोटा में वर्ष 2005–06 में 5.95 लाख रूपये की तुलना में वर्ष 2007–08 में 2.65 लाख रूपये की राशि व्यय की गई जो पूर्व में व्यय की गई राशि से 55.46 प्रतिशत कम है। इन जिलों में योजना प्रारम्भ किये जाने के पश्चात् कम राशि व्यय किये जाने तथा लाभान्वितों की संख्या में कमी योजना के प्रचार–प्रसार की कमी को अंगित करती है। अतः सुझाव है कि विभाग को योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि सभी पात्र कन्याओं को लाभ मिल सके।

2.4.0 विभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय लाभान्वित कन्याओं की प्रगति का तुलनात्मक वर्षवार विवरण :

2.4.1 सहयोग योजना में लाभान्वितों के सम्बन्ध में विभाग स्तर एवं चयनित जिलों से जिला प्रलेख अनुसूची में भी सूचनाऐं एकत्रित की गयी। विभाग स्तर एवं चयनित जिलों में लाभान्वित विवाह योग्य कन्याओं की सूचना का वर्षवार तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

सहयोग योजनान्तर्गत जिलों में लाभान्वित कन्याओं का वर्षवार विवरण

(संख्या में)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार लाभान्वित कन्याऐं							
		2005–06		2006–07		2007–08		योग	
		विभाग स्तर	जिला स्तर	विभाग स्तर	जिला स्तर	विभाग स्तर	जिला स्तर	विभाग स्तर	जिला स्तर
1.	अलवर	65	70	103	73	180	180	348	323
2.	बाँसवाड़ा	20	20	37	34	16	15	73	69
3.	भरतपुर	60	60	180	162	200	200	440	422
4.	श्रीगंगानगर	30	52	120	236	293	280	443	568
5.	जोधपुर	12	12	32	32	54	42	98	86
6.	कोटा	119	119	119	119	53	53	291	291
7.	नागौर	42	30	40	48	65	89	147	167
	योग	**348**	**363**	**631**	**704**	**861**	**859**	**1840**	**1926**

स्त्रोतः–विभाग स्तर से प्राप्त सूचनाऐं एवं जिला स्तरीय प्रलेखीय सूचनाओं के आधार पर

2.4.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाग स्तर एवं जिला स्तर से लाभान्वित कन्याओं के समंकों में अन्तर पाया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में विभाग स्तर पर प्रगति 348 एवं जिला स्तर पर 363, वर्ष 2006–07 में विभाग स्तर पर प्रगति 631 एवं जिला स्तर पर 704 एवं वर्ष 2007–08 में विभाग स्तर पर प्रगति 861 एवं जिला स्तर पर प्रगति 859 बतलाई गई है। इस प्रकार वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की कुल लाभान्वित कन्याओं की विभाग स्तर की प्रगति 1840 एवं जिला स्तरीय प्रलेखीय प्रगति 1926 बतलाई गई है।

2.4.3 यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा दर्शाई गयी लाभान्वितों की संख्या एवं जिलों में स्थित जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भौतिक प्रगति में अन्तर पाया जा रहा है। चयनित जिलों में से वर्ष 2005–06 में अलवर, श्रीगंगानगर एवं नागौर वर्ष 2006–07 में अलवर, बाँसवाड़ा, भरतपुर, श्रीगंगानगर एवं नागौर तथा वर्ष 2007–08 में बाँसवाड़ा, श्रीगंगानगर, जोधपुर एवं नागौर द्वारा लाभान्वितों की संख्या में अन्तर पाया गया है। चयनित जिलों में से सिर्फ कोटा जिले की प्रगति में ही समानता पायी गई। मुख्यालय द्वारा संधारित की जा रही सूचनाओं से भौतिक प्रगति के साथ वित्तीय प्रगति भी प्रभावित होती है। अतः वर्षान्त पुख्ता सूचना संधारित किया जाना सुनिश्चित कराया जावे ताकि प्रगति पृथक–पृथक नहीं आवे। अतः सुझाव है कि विभाग को समंकों में एकरूपता बनाये रखने हेतु जिला स्तरीय प्रगति में सामंजस्य रखना चाहिए ताकि योजना की मुख्यालय स्तर पर प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

————

अध्याय – तृतीय

अध्ययन के परिणाम

3.1.0 **चयनित न्यादर्श का स्वरूप :**

3.1.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु न्यादर्श का चुनाव करने के लिए प्रत्येक संभाग से एक–एक जिले क्रमशः जोधपुर, नागौर, कोटा, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर का चयन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से राज्य प्रलेख अनुसूची में एवं चयनित सातों जिलों से जिला प्रलेख अनुसूचियों में जिला स्तरीय प्रलेखीय सूचनाएं एकत्रित की गई।

3.1.2 चयनित जिलों से कुल 272 बी.पी.एल. परिवार के लाभार्थी/विवाहित कन्या से लाभार्थी अनुसूची भरे जाने के साथ ही चयनित जिलों के 29 सरकारी व 16 गैर–सरकारी अधिकारियों से योजना के संचालन के सम्बन्ध में सूचनाएँ एकत्रित की गई। चयनित जिलों के न्यादर्श को मद्देनजर रखते हुए सहयोग योजना के क्षेत्र कार्य के दौरान लाभार्थी एवं सरकारी/ गैर–सरकारी अधिकारियों से भरी गई अनुसूचियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित जिलों से विभिन्न स्तरों से भरी गयी अनुसूचियों का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभार्थी परिवार अनुसूची	सरकारी अनुसूची	गैर–सरकारी अनुसूची
1.	अलवर	40	4	3
2.	बांसवाड़ा	30	3	–
3.	भरतपुर	47	6	2
4.	श्रीगंगानगर	40	3	1
5.	जोधपुर	40	7	4
6.	कोटा	39	4	5
7.	नागौर	36	2	1
	योग	**272**	**29**	**16**

3.1.3 उक्त तालिका में दर्शाये गये विभिन्न स्तरों से एकत्र विचार एवं कार्यालय रिकार्ड एवं क्षेत्रीय अवलोकन के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया गया है तद्नुसार विस्तृत विवरण अग्रानुसार अंकित है।

3.2.0 **लाभार्थियों का मूल निवास एवं बी.पी.एल. कार्ड सम्बन्धी विवरण :**

3.2.1 चयनित लाभार्थियों से उनके मूल निवास एवं बी.पी.एल.कार्ड धारण के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभार्थियों का मूल निवास एवं बी.पी.एल. कार्ड सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	कुल उत्तरदाता	राजस्थान का मूल निवासी	बी.पी.एल.कार्डधारी
			हाँ	हाँ
1.	अलवर	40	40	40
2.	बांसवाड़ा	30	30	30
3.	भरतपुर	47	47	47
4.	श्रीगंगानगर	40	40	40
5.	जोधपुर	40	40	40
6.	कोटा	39	39	39
7.	नागौर	36	36	36
	योग	**272**	**272**	**272**

3.2.2 तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित लाथार्भियों में से शत–प्रतिशत लाभार्थी उत्तरदाता राजस्थान मूल के निवासी पाये गये तथा शत–प्रतिशत उत्तरदाता बी.पी.एल. कार्डधारी थे। बी.पी.एल. कार्डधारी का कार्ड बनवाने का वर्ष एवं कार्ड नम्बर **परिशिष्ट–IV** पर दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि लाभान्वित किये गये शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन नियमानुसार सही पाया गया।

3.3.0 **लाभान्वित परिवार में लाभ लेने वाली कन्याओं की संख्या एवं आयुवार विवरण :**

3.3.1 चयनित लाभान्वित परिवार में लाभ लेने वाली कन्याओं एवं कन्याओं की आयु सम्बन्धी विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभान्वित परिवार में लाभ लेने वाली कन्याओं की संख्या एवं आयुवार विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभान्वित उत्तरदाता	परिवार में लाभ लेने वाली कन्या (संख्या)			लाभान्वित कन्या की आयु		
			एक कन्या	दो कन्या	योग	21 वर्ष से कम	21 वर्ष से अधिक	योग
1.	अलवर	40	24	16	56	39	17	56
2.	बांसवाड़ा	30	27	3	33	3	30	33
3.	भरतपुर	47	29	18	65	49	16	65
4.	श्रीगंगानगर	40	39	1	41	27	14	41
5.	जोधपुर	40	28	12	52	35	17	52
6.	कोटा	39	34	5	44	27	17	44
7.	नागौर	36	23	13	49	25	24	49
	योग	**272**	**204**	**68**	**340**	**205**	**135**	**340**

3.3.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 272 लाभार्थियों में से 204 (75.00 प्रतिशत) लाभार्थियों को एक कन्या के लिए तथा 68 (25.00 प्रतिशत) लाभार्थियों ने दो कन्या हेतु लाभ लिया। इस प्रकार 272 लाभार्थी परिवारों में कुल 340 कन्याओं को सहयोग योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया। कुल लाभ लेने वाली 340 कन्याओं में से 205 (60.29 प्रतिशत) कन्याओं की आयु 18–21 वर्ष तक एवं 135 (39.71 प्रतिशत) कन्याओं की 21 वर्ष से अधिक आयु पाई गई। इस प्रकार सभी कन्याओं द्वारा निर्धारित की गई आयु में लाभान्वित किया जाना पाया गया।

3.4.0 दो कन्याओं को लाभान्वित किये जाने वाले परिवार :

3.4.1 चयनित लाभार्थी परिवारों से दो कन्याओं को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभान्वित परिवार संख्या	दो कन्याओं को लाभान्वित करने वाले परिवार						
			मार्च 08 तक	अप्रेल 08 से मार्च 09 तक					योग
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी. सी.	सामान्य	अल्प–संख्यक	
1.	अलवर	40	10	4	–	1	1	–	16
2.	बांसवाड़ा	30	3	–	–	–	–	–	3
3.	भरतपुर	47	15	1	–	1	1	–	18
4.	श्रीगंगानगर	40	1	–	–	–	–	–	1
5.	जोधपुर	40	5	6	–	1	–	–	12
6.	कोटा	39	3	–	–	–	2	–	5
7.	नागौर	36	8	5	–	–	–	–	13
	योग	**272**	**45**	**16**	**–**	**3**	**4**	**–**	**68**

3.4.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल चयनित उत्तरदाताओं में से मार्च 2008 तक 45 (16.54 प्रतिशत) परिवारों ने 2 कन्याओं हेतु योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया एवं समस्त अनुसूचित जाति के पाये गये। अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 तक अनुसूचित जाति के 16 (5.88 प्रतिशत), ओ.बी.सी. के 3 (1.10 प्रतिशत), सामान्य जाति के 4 (1.48 प्रतिशत) लाभार्थियों ने दो कन्याओं हेतु लाभ लिया। इस प्रकार कुल 68 (25.00 प्रतिशत) लाभार्थियों ने दो कन्याओं हेतु लाभ प्राप्त किया।

3.5.0 लाभार्थियों की आयु एवं जातिवार विवरण :

3.5.1 चयनित जिलों से कुल 272 लाभार्थी चयन किये गये एवं उनके जातिवर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चयनित लाभार्थियों की आयु एवं जातिवार विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभान्वित परिवार संख्या	21 वर्ष से कम अनुसूचित जाति के लाभार्थी			21 वर्ष से अधिक के 1–4–08 से 31–3–09 तक के लाभार्थी की जाति					
			अप्रेल 05 से मार्च 08 तक	1–4–08 से 31–3–09 तक	योग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओ.बी.सी.	सामान्य	अल्प–संख्यक	योग
1.	अलवर	40	27	6	33	1	–	3	3	–	7
2.	बांसवाड़ा	30	15	2	17	2	7	2	–	2	13
3.	भरतपुर	47	33	2	35	3	–	8	1	–	12
4.	श्रीगंगानगर	40	28	5	33	4	–	3	–	–	7
5.	जोधपुर	40	23	2	25	13	1	1	–	–	15
6.	कोटा	39	22	8	30	1	–	3	2	3	9
7.	नागौर	36	19	1	20	11	–	1	3	1	16
	योग	**272**	**167**	**26**	**193**	**35**	**8**	**21**	**9**	**6**	**79**

3.5.2 उक्त तालिकानुसार अप्रेल 2005 से मार्च 2008 तक 167 (61.40 प्रतिशत) व अप्रेल 2008 से मार्च 2009 तक 61 (22.43 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के परिवार लाभान्वित हुए। अनुसूचित जाति में भी 21 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं की शादी करने की प्रवृति अधिक पायी गयी। इस वर्ग को अधिक उम्र में शादी करने की उपयोगिता की जानकारी तथा अधिक अनुग्रह राशि की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि अधिक अनुग्रह राशि प्राप्त करने के साथ जनसंख्या नियन्त्रण में सहयोग प्रदान कर सके। अप्रेल 2008 से योजना में समस्त बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के 21 वर्ष से अधिक आयु होने पर 10000/– रुपये की राशि प्रदान कर लाभान्वित किये जाने का प्रावधान रखा गया। इसके तहत अनुसूचित जाति के 35 (12.86 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के 8 (2.94 प्रतिशत), ओ.बी.सी. के 21 (7.72 प्रतिशत), सामान्य वर्ग के 9 (3.31 प्रतिशत) एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 6 (2.20 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार कुल 79 (29.04 प्रतिशत) बी.पी.एल. परिवार को लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार योजना का विस्तार किये जाने के कारण बी.पी.एल. परिवारों को भी योजना का लाभ मिलना पाया गया।

3.6.0 लाभार्थियों का व्यवसायवार विवरण :

3.6.1 चयनित लाभार्थी परिवारों से उनके परिवार के बारे में किये जा रहे व्यवसाय सम्बन्धी विवरण की जानकारी प्राप्त की गई। परिवार द्वारा किये जा रहे व्यवसायिक विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभार्थियों का व्यवसायवार विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	कुल उत्तरदाता	मुख्य व्यवसाय					गौण व्यवसाय			
			कृषि	नौकरी	मजदूरी	दस्तकारी	निल	कृषि	मजदूरी	पशु पालन	दस्तकारी
1.	अलवर	40	2	1	36	1	–	1	1	–	–
2.	बांसवाड़ा	30	3	2	20	5	–	13	3	–	–
3.	भरतपुर	47	4	–	33	10	–	11	4	9	9
4.	श्रीगंगानगर	40	17	–	23	–	–	1	4	1	–
5.	जोधपुर	40	8	–	20	9	3	–	9	–	1
6.	कोटा	39	–	1	28	10	–	–	5	–	–
7.	नागौर	36	10	1	24	1	–	–	4	–	–
	योग	**272**	**44**	**5**	**184**	**36**	**3**	**26**	**30**	**10**	**10**
	प्रतिशत		**16.17**	**1.84**	**67.65**	**13.24**	**1.10**	**9.56**	**11.03**	**3.68**	**3.68**

3.6.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल चयनित 272 लाभार्थियों में से सर्वाधिक 184 (67.65 प्रतिशत) मजदूरी करने वाले थे, कृषि करने वाले 44 (16.17 प्रतिशत), नौकरी करने वाले 5 (1.84 प्रतिशत) लाभार्थियों में से बांसवाड़ा का 1 लाभार्थी राजस्थान राज्य विद्युत निगम में नौकरी एवं शेष 4 प्राइवेट नौकरी करने वाले पाये गये, सभी लाभार्थी बी.पी.एल. परिवार के पाये गये, दस्तकारी व्यवसाय करने वाले 36 (13.24 प्रतिशत) पाये गये। 3(1.10 प्रतिशत) बी.पी.एल. परिवारों द्वारा किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं किया जा रहा था, उनमें से 1 को वृद्धावस्था पेंशन तथा 2 कन्याओं के माता–पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उनके परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं था, वे अपने चाचा पर आश्रित पायी गयी। गौण व्यवसाय में सबसे अधिक 30 (11.03 प्रतिशत) लाभार्थी मजदूरी करने वाले पाये गये। कृषि में कार्यरत 26 (9.56 प्रतिशत), पशुपालन व्यवसाय में 10 (3.68 प्रतिशत) एवं दस्तकारी व्यवसाय में 10 (3.68 प्रतिशत) व्यवसाय में कार्यरत पाये गये एवं समस्त बी.पी.एल.परिवार के पाये गये।

3.7.0 लाभार्थियों को योजना की जानकारी सम्बन्धी विवरण :

3.7.1 चयनित लाभार्थियों ने योजना के सम्बन्ध में जानकारी कहाँ से प्राप्त की, उनके परिवार के अतिरिक्त और किस–किस ने योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया, आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त किये, इस सम्बन्ध में प्राप्त विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

योजना के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धी विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	उत्तर दाता संख्या	योजना की जानकारी का माध्यम				
			सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	रिश्तेदार/ मित्र	सरपंच/ पार्षद/पटवारी	वार्डन/ एल.डी.सी.	समाचार पत्र/कैम्प
1.	अलवर	40	17	1	12	10	–
2.	बांसवाड़ा	30	8	5	8	9	–
3.	भरतपुर	47	–	16	31	2	1
4.	श्रीगंगानगर	40	4	–	13	17	6
5.	जोधपुर	40	4	9	13	13	1
6.	कोटा	39	6	6	23	2	4
7.	नागौर	36	–	8	17	11	–
	योग	**272**	**39**	**45**	**117**	**64**	**12**

3.7.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत चयनित 272 लाभार्थियों में से 117 (43.01 प्रतिशत) को सरपंच/पार्षद/ग्राम पंचायत के चयनित जन–प्रतिनिधियों से, 64 (23.53 प्रतिशत) को छात्रावास वार्डन/एल.डी.सी. से, 45 (16.54 प्रतिशत) को रिश्तेदार/मित्रों से, 39 (14.34 प्रतिशत) को जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से एवं 12 (4.41 प्रतिशत) को समाचार पत्र तथा कैम्प के माध्यम से योजना की जानकारी प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि एक भी लाभार्थी को योजना की पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया, अधिकांश लाभार्थियों को पंचायत समिति स्तर से ही योजना की जानकारी प्राप्त हो गई। योजना से लक्षित समूह को लाभान्वित करने हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में अबूझ सावों पर शादियाँ होती है, इन अवसरों के आस–पास पम्पलेट, कैम्प आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की आवश्यकता जान पड़ती है।

3.8.0 सहयोग योजना के प्रचार–प्रसार सम्बन्धी विवरण :

3.8.1 सहयोग योजना के प्रचार–प्रसार हेतु सरकारी अधिकारियों एवं गैर–सरकारी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत लाभ लेने की जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

सहयोग योजना का प्रचार–प्रसार सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	जिला	सरकारी/ गैर–सरकारी उत्तरदाता	योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार		जानकारी का विवरण			
			हाँ	नहीं	समाचार पत्र	रिश्तेदार	जन–प्रतिनिधि	पूर्व में लाभ प्राप्तकर्त्ता
1.	अलवर	7	6	1	–	–	1	–
2.	बांसवाड़ा	3	3	–	–	–	–	–
3.	भरतपुर	8	2	6	3	5	3	1
4.	श्रीगंगानगर	4	3	1	–	–	1	–
5.	जोधपुर	11	9	2	–	–	–	–
6.	कोटा	9	9	–	–	–	–	–
7.	नागौर	3	2	1	–	–	–	–
	योग	**45**	**34**	**11**	**3**	**5**	**5**	**1**

3.8.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 45 सरकारी एवं गैर–सरकारी उत्तरदाताओं में से 34 (75.56 प्रतिशत) ने योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार होना बतलाया, शेष 11 (24.44 प्रतिशत) ने योजना के प्रचार–प्रसार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना बतलाया। जिन उत्तरदाताओं ने योजनाओं का पर्याप्त प्रचार नहीं होना बतलाया उनके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों को सहयोग योजना में लाभ लेने हेतु जानकारी 3 ने समाचार पत्र, 5 ने रिश्तेदारों से, 5 ने जन–प्रतिनिधियों से एवं 1 ने पूर्व में लाभ प्राप्त करने वालों से प्राप्त होना बतलाया। इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा किये

जाने के कारण नगर निकाय एवं पंचायत समिति की भूमिका इस कार्यक्रम में नहीं रही है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के बारे में जानकारी कम है। अतः नगर पालिका व पंचायत समिति के माध्यम से योजना का ग्रामीण क्षेत्र में अधिक प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक बी.पी.एल. परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर सके। विभाग को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.9.0 लाभार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने का माध्यम :

3.9.1 सहयोग योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

आवेदन पत्र प्राप्त करने का माध्यम

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	उत्तरदाता संख्या	आवेदन पत्र प्राप्त करने का माध्यम				
			सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	छात्रावास अधीक्षक	ग्राम पंचायत	पड़ौसी	अन्य विवरण
1.	अलवर	40	33	6	–	1	–
2.	बांसवाड़ा	30	30	–	–	–	–
3.	भरतपुर	47	39	6	–	2	–
4.	श्रीगंगानगर	40	39	1	–	–	–
5.	जोधपुर	40	20	7	7	1	5
6.	कोटा	39	23	3	8	1	4
7.	नागौर	36	36	–	–	–	–
	योग	**272**	**220**	**23**	**15**	**5**	**9**

3.9.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहयोग योजना में सहायता प्राप्त करने हेतु कुल चयनित 272 उत्तरदाताओं में से 220 (80.88 प्रतिशत) ने आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से ही प्राप्त करना बतलाया। इसके अतिरिक्त 23 (8.46 प्रतिशत) को वार्डन, 15 (5.51 प्रतिशत) को ग्राम पंचायत के माध्यम से, 9 (3.31 प्रतिशत) को कैम्प एवं वकील के द्वारा तथा 5 (1.84 प्रतिशत) को पड़ौसी के द्वारा प्राप्त होना बतलाया। इस प्रकार आवेदन पत्र प्राप्ति में सबसे अधिक भागीदारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की रही है, लेकिन लाभार्थी परिवार अधिकांश ग्रामीण परिवेश के हैं। अतः उन्होंने अवगत कराया कि आवेदन पत्र छात्रावास अधीक्षक/पंचायत समिति के पास उपलब्ध हो ताकि यथाशीघ्र आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन करने में सुविधा हो सके।

3.10.0 लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्रों के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :

3.10.1 चयनित लाभार्थियों से आवेदन पत्रों में संलग्न प्रमाण पत्रों की जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्रों में संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित लाभार्थी	संलग्न प्रमाण पत्र				
			अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र	बी.पी.एल. कार्ड की प्रतिलिपि	पं.समिति/ जिला परिषद पार्षद का प्रमाण पत्र विधायक/ महापौर/ प्रधान का अभिशंसा पत्र	आवेदक का शपथ पत्र	अन्य विवरण (विवाह कार्ड/ आयु प्रमाण पत्र)
1.	अलवर	40	34	40	40	40	40
2.	बांसवाड़ा	30	19	30	–	30	30
3.	भरतपुर	47	38	47	35	44	43
4.	श्रीगंगानगर	40	37	40	40	–	40
5.	जोधपुर	40	38	40	38	39	37
6.	कोटा	39	31	39	39	38	4
7.	नागौर	36	31	36	36	36	34
	योग	**272**	**228**	**272**	**228**	**227**	**228**

3.10.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित 272 लाभार्थियों में से 228 (83.82 प्रतिशत) लाभार्थियों ने आवेदन पत्रों में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, 272 (शत–प्रतिशत) लाभार्थियों ने बी.पी.एल. कार्ड, 228 (83.82 प्रतिशत) लाभार्थियों ने पंचायत समिति/जिला परिषद/पार्षद का प्रमाण पत्र, विधायक, महापौर एवं प्रधान का अभिशंषा पत्र, 227 (83.46 प्रतिशत) ने आवेदन के साथ शपथ पत्र तथा 228 (83.82 प्रतिशत) ने प्रार्थना पत्र के साथ विवाह का कार्ड/ आयु का प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न करना बतलाया। इस प्रकार समस्त लाभार्थियों ने आवेदन पत्रों के साथ चाही गई वांछित सूचनाऐं संलग्न कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन बांसवाड़ा में पंचायत समिति/जिला परिषद्/विधायक/महापौर/प्रधान की अभिशंसा उपलब्ध नहीं कराया व श्रीगंगानगर में आवेदकों द्वारा शपथ–पत्र उपलब्ध नहीं कराया। सरकारी अधिकारियों ने भी आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक सूचनाएं संलग्न कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

3.11.0 लाभार्थियों के आवेदन पत्र तैयार करवाने में सहयोगकर्त्ता :

3.11.1 सहयोग योजना में लाभ लेने हेतु लाभार्थियों से आवेदन पत्रों को भरवाने में सहयोग देने वालों की जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में सहयोग देने वालों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

आवेदन पत्र तैयार करवाने में सहयोगकर्त्ता का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	उत्तरदाता संख्या	आवेदन पत्र तैयार करवाने में सहयोगकर्त्ता					
			पार्षद/ सरपंच	वार्डन	रिश्तेदार/ पड़ौसी	विकास अधिकारी/ कनिष्ठ अभियन्ता/ बैंक कर्मचारी/कनिष्ठ लिपिक/कैशियर/ महिला सुपरवाईजर	स्वंय	योग
1.	अलवर	40	6	24	3	2	5	40
2.	बांसवाड़ा	30	9	10	1	10	—	30
3.	भरतपुर	47	6	—	27	9	5	47
4.	श्रीगंगानगर	40	4	12	6	5	13	40
5.	जोधपुर	40	11	5	11	12	1	40
6.	कोटा	39	8	—	6	13	12	39
7.	नागौर	36	8	13	4	9	2	36
	योग	**272**	**52**	**64**	**58**	**60**	**38**	**272**

3.11.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 272 चयनित उत्तरदाताओं में से आवेदन पत्र भरवाने में 64 (23.53 प्रतिशत) को छात्रावास वार्डन, 60 (22.06 प्रतिशत) विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, बैंक कर्मचारी, केशियर, एल.डी.सी., महिला सुपरवाईजर ने, 58 (21.32 प्रतिशत) को रिश्तेदार एवं पड़ौसी ने, 52 (19.11 प्रतिशत) को पार्षद/सरपंच ने सहयोग किया तथा शेष 38 (13.98 प्रतिशत) लाभार्थियों ने स्वंय ही आवेदन पत्र भरकर लाभ लेने हेतु विभाग में प्रस्तुत किये।

3.12.0 आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण :

3.12.1 योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों से आवेदन पत्र भरने का वर्ष, आवेदन पत्र विवाह के पूर्व/पश्चात् भरा गया एवं आवेदन पत्र भरने में क्या कठिनाई हुई। इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :—

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाता	आवेदन पत्र भरने का वर्ष					आवेदन करने का समय		आवेदन पत्र भरने में कठिनाइयाँ		
			2005	2006	2007	2008	2009	विवाह के पूर्व	विवाह के पश्चात्	आयु प्रमाण पत्र बनवाने में	निरक्षर होना	अनुषंशा में
1.	अलवर	40	5	14	8	13	—	28	12	7	5	—
2.	बांसवाड़ा	30	3	7	5	14	1	—	30	—	—	—
3.	भरतपुर	47	—	9	5	28	5	—	47	18	1	11
4.	श्रीगंगानगर	40	—	17	14	9	—	39	1	—	6	—
5.	जोधपुर	40	—	11	12	15	2	30	10	—	—	—
6.	कोटा	39	8	6	9	14	2	6	33	3	6	—
7.	नागौर	36	—	7	11	16	2	36	—	—	6	—
	योग	**272**	**16**	**71**	**64**	**109**	**12**	**139**	**133**	**28**	**24**	**11**

3.12.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं से आवेदन पत्र भरने के वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में 16 (5.88 प्रतिशत) ने वर्ष 2005, 71 (26.10 प्रतिशत) ने 2006, 64 (23.53 प्रतिशत) ने 2007, 109 (40.07 प्रतिशत) ने 2008 एवं 12 (4.42 प्रतिशत) ने वर्ष 2009 में आवेदन पत्र भरना बतलाया। विवाह के पूर्व 139 (51.10 प्रतिशत) ने एवं विवाह के पश्चात् 133 (48.90 प्रतिशत) लाभार्थियों ने आवेदन पत्र भरना बतलाया। आवेदन पत्र भरने में कठिनाई के सम्बन्ध में कुल चयनित उत्तरदाताओं में से 28 (10.29 प्रतिशत) ने आयु प्रमाण पत्र बनवाने, 24 (8.82 प्रतिशत) ने निरक्षर होने एवं 11 (4.04 प्रतिशत) ने अनुषंशा करने के सम्बन्ध में कठिनाई बतलाई। इस प्रकार आवेदन पत्र भरने में लाभार्थियों को कठिनाई होना पाया गया। यहाँ भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आवेदन पत्र प्राप्त व जमा कराने के लिए आवेदक को जिला कार्यालय पर आना पड़ता है। आवेदन पत्र प्राप्त व जमा कराने की सुविधा छात्रावास अधीक्षक/विकास अधिकारी, पंचायत समिति स्तर पर कराने की व्यवस्था पर विभाग को ध्यान देना चाहिए।

3.13.0 अधूरे आवेदन पत्रों में पायी गयी कमियाँ, कमियों के निराकरण में लगने वाला समय का विवरण :

3.13.1 आवेदन पत्रों में पायी गयी कमियों को दूर करने में लाभार्थी को लगने वाले समय अन्तराल का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

अधूरे आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों वाले लाभार्थी एवं निराकरण में लगने वाला समय

क्र. सं.	जिला	चयनित उत्तरदाता (आवेदनकर्त्ता)	आवेदन पत्र जिनमें कमियाँ पाई गई (संख्या)	कमियों को दूर करने में लगने वाला समय अन्तराल			
				15 दिन	15 से 30 दिन	1 से 2 माह	2 से 3 माह एवं अधिक
1.	अलवर	40	5	1	2	2	–
2.	बांसवाड़ा	30	–	–	–	–	–
3.	भरतपुर	47	1	1	–	–	–
4.	श्रीगंगानगर	40	3	–	–	1	2
5.	जोधपुर	40	1	–	–	–	1
6.	कोटा	39	3	1	1	1	–
7.	नागौर	36	2	–	2	–	–
	योग	**272**	**15**	**3**	**5**	**4**	**3**

3.13.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल चयनित लाभार्थियों में से 15 (5.51 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के आवेदन पत्रों में कमी पाई गई। जिन लाभार्थियों के आवेदन पत्रों में कमियाँ पाई गई उनको दूर करने में 3 (20.00 प्रतिशत) को 15 दिन, 5 (33.33 प्रतिशत) को 15–30 दिन, 4 (26.67 प्रतिशत) को 1 से 2 माह एवं 3 (20.00 प्रतिशत) को 2–3 माह का समय लगना पाया गया। इस प्रकार लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की कमियों को दूर करने में अधिकांश द्वारा 15 दिवस से अधिक समय लगना पाया गया जिसके लिए आवेदकों को बार–बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते है। जिला अलवर, श्रीश्रीगंगानगर एवं कोटा द्वारा 47 प्रतिशत अपूर्ण आवेदकों के आवेदन पत्रों में कमियों को दूर करने में एक से तीन माह का समय लगाया।

3.14.0 आवेदन पत्रों में रही कमियों के निराकरण के पश्चात् स्वीकृति में लगने वाला समय एवं स्वीकृति के पश्चात् भुगतान में लगने वाले समय :

3.14.1 चयनित लाभार्थियों से आवेदन पत्रों में रही कमियों के निराकरण के पश्चात् स्वीकृति में लगने वाला समय एवं स्वीकृति के पश्चात् भुगतान में लगने वाले समय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

आवेदन पत्रों की कमियों के निराकरण पश्चात् स्वीकृति में लगने वाला समय एवं स्वीकृति पश्चात् भुगतान में लगने वाला समय का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभार्थी जिनके आवेदन पत्रों में कमियाँ पाई गई	स्वीकृति में लगने वाला समय (माह में)				स्वीकृति के पश्चात् भुगतान में लगने वाला समय		
			3 माह	3–6 माह	6–9 माह	9 माह से अधिक	15 दिवस	15–30 दिवस	1 माह से अधिक
1.	अलवर	5	–	2	1	2	1	2	2
2.	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	भरतपुर	1	1	–	–	–	–	1	–
4.	श्रीगंगानगर	3	–	–	2	1	3	–	–
5.	जोधपुर	1	1	–	–	–	1	–	–
6.	कोटा	3	1	1	1	–	–	2	1
7.	नागौर	2	2	–	–	–	1	1	–
	योग	**15**	**5**	**3**	**4**	**3**	**6**	**6**	**3**

3.14.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन 15 आवेदनकर्त्ता के आवेदनों में कमियाँ रही उनको निराकरण किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा स्वीकृति में 5 (33.33 प्रतिशत) को 3 माह, 3 (20.0 प्रतिशत) को 3–6 माह, 4 (26.67 प्रतिशत) को 6–9 माह एवं 3 (20.0 प्रतिशत) को 9 से अधिक माह का समय लगना पाया गया। विभाग द्वारा स्वीकृति के पश्चात् भुगतान में भी 6 (40.0 प्रतिशत) को 15 दिवस, 6 (40.0 प्रतिशत) को 15–30 दिवस एवं 3 (20.0 प्रतिशत) को 1 माह से अधिक समय लगना पाया गया।

3.14.3 इस प्रकार जिन आवेदकों के आवेदन पत्रों में कमियाँ रही उनको निराकरण से भुगतान किये जाने में काफी समय लगना पाया गया। परिवार की पात्रता की जाँच उसी क्षेत्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास अधीक्षक द्वारा करवायी जाती है जिससे पात्रता की जाँच में अधिक समय लगना पाया गया। यदि पात्रता की जाँच पंचायत समिति स्तर पर ग्रामसेवक/पटवारी से करवाली जाती है तो आवेदन पत्रों की जाँच में कम समय लग सकेगा। अतः विभाग को आवेदनकर्त्ता के प्रार्थना पत्र प्राप्ति के साथ ही कमियों के निराकरण की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करवाने का प्रयास करना चाहिए ताकि लाभार्थी को विभाग के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े।

3.15.0 आवेदन पत्रों में कमियाँ नहीं पाये जाने वाले लाभार्थियों को भुगतान में लगने वाला समय :

3.15.1 चयनित 257 लाभार्थियों जिनके आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया उनसे भुगतान अवधि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

पूर्ण आवेदन पत्रों की प्राप्ति उपरान्त भुगतान, प्रक्रिया पूर्ण करने व भुगतान अवधि सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तरदाता	आवेदन पत्र जिनमें कमियाँ नहीं पाई गई	आवेदन के बाद आवेदक जिनको भुगतान किया गया					
				15 दिवस	15–30 दिवस	30–45 दिवस	45–60 दिवस	60 दिवस से अधिक	जानकारी नहीं
1.	अलवर	40	35	–	–	–	–	–	35
2.	बांसवाड़ा	30	30	1	–	1	5	23	–
3.	भरतपुर	47	46	13	29	3	1	–	–
4.	श्रीगंगानगर	40	37	–	–	–	–	–	37
5.	जोधपुर	40	39	29	8	–	1	1	–
6.	कोटा	39	36	1	21	1	4	9	–
7.	नागौर	36	34	–	–	–	–	–	34
	योग	**272**	**257**	**44**	**58**	**5**	**11**	**33**	**106**

3.15.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित 272 उत्तरदाताओं में से 257 (94.48 प्रतिशत) लाभान्वितों के आवेदन पत्रों में कमियाँ नहीं गई। उनको आवेदन के बाद भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में 106 (41.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जानकारी नहीं बतलाई, शेष उत्तरदाताओं में से 58 (22.57 प्रतिशत) उत्तदाताओं ने 15–30 दिवस, 44 (17.12 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 15 दिवस, 33 (12.84 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 60 दिवस से अधिक, 11 (4.28 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 45–60 दिवस में एवं 5 (1.94 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 30–45 दिन में भुगतान किया जाना बतलाया। इस प्रकार अधिकांश उत्तरदाताओं ने निर्धारित अवधि के पश्चात् भुगतान राशि प्रदान किया जाना बतलाया।

3.16.0 **लाभार्थी के आवेदन पत्र की स्वीकृति में लगने वाले समय सम्बन्धी विवरण :**
3.16.1 चयनित लाभार्थी जिनके आवेदन पत्रों को देरी से स्वीकृत किया गया उनसे आवेदन पत्रों की स्वीकृति में लगने वाले समय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

आवेदन पत्रों की स्वीकृति में लगने वाला समय

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तरदाता	आवेदन पत्रों की स्वीकृति में लगने वाला समय					
			15 दिवस	15–30 दिवस	30–45 दिवस	45–60 दिवस	60 दिवस से अधिक	जानकारी नही (NR)
1.	अलवर	40	1	2	2	–	–	35
2.	बांसवाड़ा	30	1	–	1	5	23	–
3.	भरतपुर	47	13	30	3	1	–	–
4.	श्रीगंगानगर	40	3	–	–	–	–	37
5.	जोधपुर	40	30	8	–	1	1	–
6.	कोटा	39	1	23	2	4	9	–
7.	नागौर	36	1	1	–	–	–	34
	योग	**272**	**50**	**64**	**8**	**11**	**33**	**106**

3.16.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 272 लाभान्वित उत्तरदाताओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 50 (18.38 प्रतिशत) को 15 दिवस में, 64 (23.53 प्रतिशत) को 15–30 दिवस में, 8 (2.94 प्रतिशत) को 30–45 दिवस में, 11 (4.04 प्रतिशत) को 45–60 दिवस में, 33 (12.13 प्रतिशत) को 60 दिवस से अधिक समय में राशि का भुगतान किया गया तथा 106 (38.98 प्रतिशत) उत्तरदाताओं से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने से सूचना शून्य बतलाई गयी। इस प्रकार राशि भुगतान में लाभार्थियों को अधिक समय लगना पाया गया।

3.17.0 लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की प्रक्रिया में लगने वाला समय अन्तराल विवरण :

3.17.1 चयनित लाभार्थियों द्वारा योजनान्तर्गत लाभ लेने की प्रक्रिया में आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की अवधि में लगने वाले समय अन्तराल का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की प्रक्रिया में लगने वाला समय अन्तराल विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तरदाता	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् भुगतान में लगने वाला समय अन्तराल						
			1 माह	1–2 माह	2–3 माह	3–4 माह	4–6 माह	6–9 माह	9 से अधिक माह
1.	अलवर	40	1	1	4	5	5	8	16
2.	बांसवाड़ा	30	–	3	4	4	9	9	1
3.	भरतपुर	47	3	24	16	1	3	–	–
4.	श्रीगंगानगर	40	1	9	11	4	8	5	2
5.	जोधपुर	40	9	5	9	6	7	2	2
6.	कोटा	39	–	–	4	3	7	11	14
7.	नागौर	36	1	5	4	7	9	5	5
	योग	**272**	**15**	**47**	**52**	**30**	**48**	**40**	**40**

3.17.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित लाभार्थियों में से 15 (5.51 प्रतिशत) को 1 माह में, 47 (17.28 प्रतिशत) को 1–2 माह में, 52 (19.12 प्रतिशत) को 2–3 माह में, 30 (11.03 प्रतिशत) को 3–4 माह में, 48 (17.66 प्रतिशत) को 4–6 माह में, 40 (14.70 प्रतिशत) को 6–9 माह में एवं 40 (14.70 प्रतिशत) को 9 माह से अधिक समय में आवेदन के पश्चात् राशि को प्राप्त करने में समय लगा। इस प्रकार 158 (58.9 प्रतिशत) को राशि का भुगतान प्राप्त करने में 3 माह से अधिक का समय लगना पाया गया। इसके लिए लाभार्थियों ने अवगत कराया कि उनको राशि का भुगतान विवाह के बाद एवं काफी समय पश्चात् मिलने के कारण विभाग के कई चक्कर लगाने पड़े। विभाग को राशि का भुगतान विवाह के समय पर करवाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

3.18.0 लाभार्थियों द्वारा विवाह के पूर्व आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय अन्तराल विवरण :

3.18.1 चयनित लाभार्थियों द्वारा योजनान्तर्गत लाभ लेने की प्रक्रिया में विवाह के पूर्व आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की अवधि में लगने वाले समय अन्तराल का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

विवाह के पूर्व आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की प्रक्रिया में लगने वाला समय अन्तराल विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तरदाता	विवाह के पूर्व आवेदन करने वाले लाभार्थी	प्रार्थना पत्र में कमियाँ पाये जाने वाले लाभार्थी	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् भुगतान में लगने वाला समय अन्तराल						
					1 माह	1–2 माह	2–3 माह	3–4 माह	4–6 माह	6–9 माह	9 से अधिक माह
1.	अलवर	40	28	4	1	–	–	3	4	7	13
2.	बांसवाड़ा	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	भरतपुर	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	श्रीगंगानगर	40	39	3	1	9	11	4	7	5	2
5.	जोधपुर	40	30	–	8	5	5	4	5	1	2
6.	कोटा	39	6	–	–	–	–	2	1	2	1
7.	नागौर	36	36	2	1	5	4	7	9	5	5
	योग	**272**	**139**	**9**	**11**	**19**	**20**	**20**	**26**	**20**	**23**

3.18.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल चयनित उत्तरदाताओं में से 139 (51.10 प्रतिशत) ने लाभ लेने के लिए विवाह के पूर्व आवेदन किया था। विवाह के पूर्व आवेदन करने वाले लाभार्थियों में से 9 (6.47 प्रतिशत) के आवेदन पत्रों में कमियाँ पायी गई जिनका निराकरण देरी से होने के कारण विवाह के पूर्व आवेदन करने पर भी विवाह के काफी समय के पश्चात् भुगतान किया जाना पाया गया। यदि आवेदन पत्र छात्रावास अधीक्षक/पंच/सरपंच के माध्यम से लाभार्थी को प्रदान कर दिये जाते एवं उनकी कमियों को यथासमय ही दूर करने का प्रयास कर दिया जाता तो लाभार्थी को भुगतान विवाह के पूर्व किया जाना संभव हो सकता था। लाभार्थी के विवाह के पूर्व आवेदन करने के पश्चात् भी 11 (7.91 प्रतिशत) को 1 माह, 19 (13.67 प्रतिशत) को 1–2 माह, 20 (14.39 प्रतिशत) को 2–3 माह, 20 (14.39 प्रतिशत) को 3–4 माह, 26 (18.70 प्रतिशत) को 4–6 माह, 20 (14.39 प्रतिशत) को 6–9 माह एवं 23 (16.55 प्रतिशत) को 9 माह से अधिक समय में राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार 89 (64.03 प्रतिशत) को विवाह के पूर्व आवेदन करने के पश्चात् भी 3 माह से अधिक समय में राशि का भुगतान किया जाना पाया गया। यद्यपि अधिकारियों ने पर्याप्त स्टाफ का अभाव, कार्य अधिकता एवं समय पर बजट की समस्या से अवगत कराया। योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु पंचायत समिति स्तर पर सम्बन्धित आवेदन पत्रों का ससमय निपटारा कराया जाकर सहायता राशि का भुगतान समय पर करवाये जाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

3.19.0 लाभार्थियों द्वारा विवाह के पश्चात् आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय अन्तराल विवरण :

3.19.1 चयनित लाभार्थियों द्वारा योजनान्तर्गत लाभ लेने की प्रक्रिया में विवाह के पश्चात् आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की अवधि में लगने वाले समय अन्तराल का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

विवाह के पश्चात् आवेदन पत्र भरने से भुगतान तक की प्रक्रिया में लगने वाला समय अन्तराल विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तरदाता	विवाह के पश्चात् आवेदन करने वाले लाभार्थी	प्रार्थना पत्र में कमियाँ पाये जाने वाले लाभार्थी	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् भुगतान में लगने वाला समय अन्तराल						
					1 माह	1–2 माह	2–3 माह	3–4 माह	4–6 माह	6–9 माह	9 से अधिक माह
1.	अलवर	40	12	1	–	1	4	2	1	1	3
2.	बांसवाड़ा	30	30	–	–	3	4	4	9	9	1
3.	भरतपुर	47	47	1	3	24	16	1	3	–	–
4.	श्रीगंगानगर	40	1	–	–	–	–	–	1	–	–
5.	जोधपुर	40	10	1	1	–	4	2	2	1	–
6.	कोटा	39	33	3	–	–	4	1	6	9	13
7.	नागौर	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	**272**	**133**	**6**	**4**	**28**	**32**	**10**	**22**	**20**	**17**

3.19.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित आवेदकों में से 133 (48.89 प्रतिशत) ने विवाह के पश्चात् आवेदन किया उनमें से 6 (4.51 प्रतिशत) के आवेदन पत्रों में कमियाँ पाई गई उनको निराकरण के पश्चात् भुगतान में काफी समय लगना पाया गया। विवाह के पश्चात् आवेदन किये जाने वाले 4 (3.00 प्रतिशत) को 1 माह, 28 (21.05 प्रतिशत) को 1–2 माह, 32 (24.06 प्रतिशत) को 2–3 माह, 10 (7.52 प्रतिशत) को 3–4 माह, 22 (16.54 प्रतिशत) को 4–6 माह, 20 (15.04 प्रतिशत) को 6–9 माह एवं 17 (12.79 प्रतिशत) को 9 माह से अधिक का समय लगना पाया गया। इस प्रकार 69 (51.88 प्रतिशत) को 3 माह से अधिक समय आवेदन करने के पश्चात् भुगतान में लगना पाया गया। इसलिए विभाग को भुगतान समय पर करवाये जाने का प्रयास करना चाहिए।

3.20.0 सहयोग योजनान्तर्गत लाभान्वित कन्याओं को वितरित सहायता राशि का वर्षवार एवं आयुवार विवरण :

3.20.1 चयनित लाभान्वित उत्तरदाताओं के परिवार में लाभान्वित कन्याओं की आयु एवं वितरित की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभार्थी कन्याओं को वितरित राशि का वर्षवार विवरण

(राशि रुपये प्रति कन्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभान्वित उत्तरदाता	मार्च 2008 तक लाभान्वित अनुसूचित जाति की कन्याएं (संख्या)	वितरित राशि (रुपये) प्रति कन्या	अप्रेल 2008 से मार्च 2009 तक लाभान्वित कन्याऐं/राशि				कुल लाभान्वित कन्याऐं
					21 वर्ष से कम की अनुसूचित जाति की कन्याएं (संख्या)	वितरित राशि (रुपये) प्रति कन्या	21 वर्ष से अधिक की कन्याएं (अनुसूचित जाति एवं अन्य) (संख्या)	वितरित राशि (रुपये) प्रति कन्या	
1.	अलवर	40	39	5000	8	5000	9	10000	56
2.	बांसवाड़ा	30	18	5000	2	5000	13	10000	33
3.	भरतपुर	47	50	5000	3	5000	12	10000	65
4.	श्रीगंगानगर	40	29	5000	5	5000	7	10000	41
5.	जोधपुर	40	28	5000	8	5000	16	10000	52
6.	कोटा	39	25	5000	8	5000	11	10000	44
7.	नागौर	36	27	5000	7	5000	15	10000	49
	योग	**272**	**216**	**10.80 लाख**	**41**	**2.05 लाख**	**83**	**8.30 लाख**	**340**

3.20.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल लाभान्वित 272 उत्तरदाताओं के परिवार में 340 कन्याओं को सहयोग योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया। योजना आरम्भ किये जाने के पश्चात् मार्च 2008 तक अनुसूचित जाति की कुल 216 (63.53 प्रतिशत) कन्याऐं पाई गई। प्रत्येक कन्या को 5000/– रुपये की राशि प्रदान की गई। अप्रेल 2008 से 2009 तक 41 (12.06 प्रतिशत) कन्याऐं 21 वर्ष से कम उम्र की पाई गई। प्रत्येक कन्या को योजना के प्रावधान के अनुरूप 5000 रुपये की राशि से लाभान्वित किया गया। अप्रेल 2008 के पश्चात् 83 (24.41 प्रतिशत) कन्याऐं 21 वर्ष से अधिक आयु की पाई गई। प्रत्येक कन्या को 10000 रुपये प्रति कन्या को दिये जाकर लाभान्वित किया गया। इस प्रकार समस्त कन्याओं को योजना के प्रावधानों के अनुरूप राशि प्रदान की गई। लाभान्वित परिवारों का विवरण **परिशिष्ट–III** पर दर्शाया गया है।

3.20.3 इस सम्बन्ध में चयनित 29 सरकारी एवं 16 गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने 18 से 21 वर्ष से कम उम्र की बी.पी.एल. परिवार की कन्याओं को 5,000 रुपये तथा 21 वर्ष से अधिक उम्र की कन्या को 10,000 रुपये की सहायता राशि नियमानुसार विवाह के पूर्व प्रदान नहीं किया जाना बतलाया। इस प्रकार शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं एवं सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने निर्धारित राशि विवाह के पूर्व दिलवाये जाने पर विचार व्यक्त किये।

3.21.0 योजनान्तर्गत मिलने वाली सहायता राशि के भुगतान सम्बन्धी विवरण :

3.21.1 सहयोग योजनान्तर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान शत–प्रतिशत लाभार्थियों ने ड्राफ्ट द्वारा करना बतलाया है, जबकि योजना के प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर आहरित राशि कन्या के नाम से उसके बैंक खाते में जमा कराने का प्रावधान रखा गया है। विभाग द्वारा विशेष कारण से ही भुगतान ड्राफ्ट से किये जाने का प्रावधान रखा गया है। प्रायः

यह पाया गया है कि विभाग ड्राफ्ट बनाकर रख लेते है, ड्राफ्ट हेतु आवेदक को विभाग के बार–बार चक्कर लगाने पड़ते है एवं राशि का भुगतान काफी समय बाद हो पाता है, जो योजना के उद्देश्य (विवाह के अवसर पर राशि प्रदान करने के) की पूर्ति नहीं करता है। विभाग को विकास अधिकारी/पंचायत समिति को एक मुश्त राशि आवंटित कर विकास अधिकारी के मार्फत कन्या के विवाह पर ही राशि प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि राशि का उपयोग विवाह के अवसर पर किया जा सके एवं योजना के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। पंचायत समिति से उपयोग राशि के यू.सी. प्राप्त करने के प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए जिससे वितरण प्रक्रिया सरल हो सके एवं लाभार्थी को समय पर सहायता राशि प्राप्त हो सके।

3.22.0 योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता राशि के उपयोग सम्बन्धी विवरण :

3.22.1 सहयोग योजनान्तर्गत लाभार्थी को विवाह के पश्चात् राशि प्राप्त होने से मिलने वाली राशि को लक्षित परिवार द्वारा विवाह के अवसर पर लिए गये कर्ज के भुगतान में व्यय किया जाना बतलाया। इसका विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोग का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभान्वित उत्तरदाता	घरेलू सामान/खर्च	शादी की उधारी/ कर्ज चुकाने पर
1.	अलवर	40	32	8
2.	बांसवाड़ा	30	15	15
3.	भरतपुर	47	18	29
4.	श्रीगंगानगर	40	20	20
5.	जोधपुर	40	7	33
6.	कोटा	39	10	29
7.	नागौर	36	38	1
	योग	**272**	**137**	**135**
	प्रतिशत		**50.37**	**(49.63)**

3.22.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि लाभार्थियों द्वारा योजनान्तर्गत विवाह के पश्चात् प्रदान की गई राशि का उपयोग 137 (50.37 प्रतिशत) ने घरेलू सामान क्रय करने एवं 135 (49.63 प्रतिशत) ने विवाह के अवसर पर लिया गया कर्ज की उधारी चुकाने में किया। विवाह के मौके पर लाभार्थी को राशि प्राप्त नहीं होने से लाभार्थी को वैवाहिक सामग्री खरीदने के लिए कर्जदार बनना पड़ा जिसके भुगतान हेतु ब्याज/जमीन गिरवी रखकर करना पड़ा। इस प्रकार उत्तरदाताओं ने योजनान्तर्गत मिलने वाली राशि का उपयोग कन्या के विवाह पर होने वाले खर्चों की अपेक्षित पूर्ति हेतु कर्ज लेकर किया है जो योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है। यदि यह राशि कन्या के विवाह के समय लाभार्थी को प्राप्त हो जाती तो प्राप्त राशि का समय पर उपयोग हो सकता है।

3.23.0 **योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली राशि की पर्याप्तता एवं अपेक्षात्मक राशि :**
3.23.1 सहयोग योजनान्तर्गत लाभार्थी को जो राशि प्रदान की जा रही है वह विवाह के पूर्व स्वीकृत करवाकर लाभार्थी को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है तथा विवाह पर लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली राशि से अधिक खर्च विवाह पर होने के कारण बी.पी.एल. परिवार को आर्थिक कठिनाई महसूस होती है। योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली राशि की पर्याप्तता एवं कितनी राशि प्रदान की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में लाभार्थियों से पूछने पर लाभार्थियों द्वारा प्राप्त विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभार्थी को प्रदान की जा रही राशि की पर्याप्तता एवं अपेक्षात्मक राशि

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभान्वित उत्तरदाता	राशि की पर्याप्तता		अपेक्षात्मक राशि (रुपयों में)				वृद्धि के कारण	
			हाँ	नहीं	20000–30000	30000–40000	40000–50000	50000 से अधिक	शादी में खर्चा ज्यादा होना	आर्थिक परेशानी
1.	अलवर	40	–	40	7	20	13	–	40	31
2.	बांसवाड़ा	30	–	30	30	–	–	–	30	–
3.	भरतपुर	47	2	45	44	–	1	–	45	7
4.	श्रीगंगानगर	40	–	40	25	13	2	–	40	–
5.	जोधपुर	40	–	40	31	5	4	–	40	–
6.	कोटा	39	–	39	38	1	–	–	39	7
7.	नागौर	36	–	36	–	12	19	5	36	–
	योग	**272**	**2**	**270**	**175**	**51**	**39**	**5**	**270**	**45**

3.23.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं में से 270 (99.26 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने सहयोग योजनान्तर्गत मिलने वाली राशि को अपर्याप्त बतलाया। चयनित 2 (0.74 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने मिलने वाली राशि को पर्याप्त बतलाया क्योंकि योजनान्तर्गत दोनों उत्तरदाताओं को 2 कन्या के लिए 20,000 रुपये की राशि सहायता हेतु प्राप्त हुई थी।

3.23.3 चयनित 270 उत्तरदाताओं ने जिनके द्वारा राशि अपर्याप्त बतलायी गई है उनमें से 175 (64.81 प्रतिशत) ने राशि 20000–30000 रुपये, 51 (18.89 प्रतिशत) ने 30000–40000 रुपये, 39 (14.44 प्रतिशत) ने 40000–50000 रुपये एवं 5 (1.86 प्रतिशत) ने 50000 रुपये से अधिक सहायता प्रदान करने हेतु इच्छा व्यक्त की। चयनित उत्तरदाताओं में से अपर्याप्त राशि बताने वाले 270 (99.26 प्रतिशत) लाभार्थियों ने वर्तमान मंहगाई को देखते हुए शादी में अधिक खर्चा होने से कर्ज ज्यादा लेना बतलाया। यदि राज्य स्तर पर अधिक राशि योजनान्तर्गत प्रदान कर दी जाती है तो उनको आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है, 45 (16.67 प्रतिशत) ने आर्थिक तंगी और परेशानी के कारण राशि बढ़ाने पर मत व्यक्त किया।

3.23.4 राशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में चयनित 29 सरकार एवं 16 गैर–सरकारी उत्तरदाताओं से भी जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

योजनान्तर्गत मिलने वाली राशि की पर्याप्तता एवं अपेक्षात्मक राशि विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	सरकारी/ गैर–सरकारी उत्तरदाता	राशि की पर्याप्तता		यदि नहीं तो कितनी होनी चाहिए (रुपयों में)				
			हाँ	नहीं	10000–20000	20000–30000	30000–40000	40000–50000	50000 से अधिक
1.	अलवर	7	1	6	–	1	1	4	–
2.	बांसवाड़ा	3	2	1	–	1	–	–	–
3.	भरतपुर	8	1	7	7	–	–	–	–
4.	श्रीगंगानगर	4	–	4	2	1	–	1	–
5.	जोधपुर	11	–	11	2	6	–	3	–
6.	कोटा	9	1	8	7	1	–	–	–
7.	नागौर	3	–	3	–	–	–	–	3
	योग	**45**	**5**	**40**	**18**	**10**	**1**	**8**	**3**

3.23.5 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित 29 सरकारी एवं 16 गैर–सरकारी अधिकारियों में से 5 (11.11 प्रतिशत) ने ही योजनान्तर्गत प्रदान की जा रही राशि को पर्याप्त बतलाया, शेष 40 (88.89 प्रतिशत) ने मिलने वाली राशि को कम बतलाया है। जिन उत्तरदाताओं ने राशि को कम बतलाया उनमें से 18 (45.0 प्रतिशत) ने 10000–20000 रुपये तक, 10 (25.0 प्रतिशत) ने 20000–30000 रुपये, 8 (20.0 प्रतिशत) ने 40000–50000 रुपये तथा 3 (7.50 प्रतिशत) ने 50000 रुपये एवं 1 (2.5 प्रतिशत) ने 30000–40000 रुपये की सहायता प्रदान करने पर मत व्यक्त किया।

3.23.6 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान मंहगाई को देखते हुए सहयोग योजनान्तर्गत प्रदान की जा रही सहायता में वृद्धि के सम्बन्ध में अधिकांश उत्तरदाताओं ने मत व्यक्त किया है।

———

अध्याय– चतुर्थ

कठिनाईयाँ एवं सुझाव

4.1.0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सहयोग योजना के प्रभावों को ज्ञात करने हेतु चयनित जिलों के लाभार्थी परिवार, अधिकारी/गैर अधिकारी वर्ग जिनका योजना में लाभ लेने एवं योजना के संचालन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है, शोध के दौरान उक्त वर्णित सभी वर्ग के व्यक्तियों से योजना के संचालन के सम्बन्ध में अनुभूत की गयी समस्याओं एवं उनके निराकरण के सुझाव आमंत्रित किये गये है। अनुभूत मुख्य–मुख्य कठिनाईयों एवं सुझावों का विवरण निम्नानुसार वर्णित किया जा रहा है :–

(1) **आवेदन पत्र प्राप्त करने का माध्यम :**

सहयोग योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में उपलब्ध होते हैं जबकि अधिकांश लाभार्थी ग्रामीण स्तर के पाये गये हैं। जिला स्तर से आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं भरकर देने में लाभार्थियों द्वारा कठिनाई महसूस की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि सहयोग योजना में लाभ लेने हेतु ग्रामवासियों को ग्राम स्तर पर पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/छात्रावास अधीक्षक/विकास अधिकारी कार्यालय (करिश्मा योजना) में आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं भरकर प्रस्तुत करने की सुविधा होनी चाहिए ताकि लाभार्थी को जिले के कार्यालय में बार–बार आने की असुविधा नहीं हो विभाग को इस पर विचार करना चाहिए ताकि अधिकांश लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु समय पर आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं भरने में सुविधा महसूस कर सके। योजना की जानकारी हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अबूझ सावों के आस–पास प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

(2) **आवेदन पत्र भरने में कठिनाई :**

योजनान्तर्गत लाभ लेने वाले लाभार्थियों के निरक्षर होने के कारण आवेदन पत्र भरने, आयु प्रमाण पत्र बनवाने एवं अनुशंषा करवाने में कठिनाई आना बतलाया। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि लाभार्थियों को आवेदन पत्र भरवाने में सरपंच/पार्षद/वार्ड पंच/राज्य कर्मचारी को लाभार्थियों को आवेदन पत्र भरवाने की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर इस विभाग का कार्य 2009–10 से स्थानान्तरित किया गया है। अतः पंचायत स्तर पर समस्त कार्यवाही पूर्ण करली जावें, ताकि लाभार्थी को फार्म भरने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

(3) **आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों के निराकरण एवं स्वीकृति में लगने वाले समय के सम्बन्ध में कठिनाई :**

सहयोग योजनान्तर्गत लाभ लेने वाले उत्तरदाताओं को आवेदन पत्रों को कन्या के विवाह तिथि से एक माह पूर्व से एक माह बाद तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। जिला अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 7 दिवस में तथ्यों की जाँच करवाकर 15 दिन में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान किये जाने का प्रावधान रखा गया है जिससे विभाग निर्धारित नियमों की पालना नहीं करवा सका है। लाभार्थी को कन्या के विवाह के अवसर पर राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है।

जिन आवेदकों के आवेदन पत्रों में कमियाँ रह जाती है उन लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की कमियों के निराकरण में विभाग को 3 माह से अधिक समय लगना पाया गया जिससे लाभार्थियों को राशि की स्वीकृति के पश्चात् भुगतान काफी विलम्ब से किया जाना पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि छात्रावास अधीक्षक/ पंचायत समिति स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा अधूरे आवेदन पत्र तुरन्त ही आवश्यक पूर्ति हेतु आवेदक को लौटा देने चाहिए। अधूरे आवेदन पत्र लम्बे समय तक कार्यालय में लम्बित रहने से कमी पूर्ति में देरी तथा भुगतान में देरी हो जाती है।

(4) **अनुदान सहायता राशि भुगतान सम्बन्धी विवरण :**

सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान सहायता राशि का भुगतान कन्या के नाम से बैंक खाते में जमा कराये जाने का प्रावधान रखा गया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सभी जिलों द्वारा राशि का भुगतान कन्या के नाम ड्राफ्ट द्वारा किया जा रहा है जो विभागीय नियमों/प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यह भी पाया गया है कि भुगतान शादी के बाद ही किया गया है तथा लाभार्थियों द्वारा भुगतान प्राप्ति हेतु कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का सुझाव था कि बी.पी.एल. परिवार के माता–पिता जिनके द्वारा कन्या की शादी पर राशि खर्च की जा रही है, सहयोग राशि का भुगतान बी.पी.एल. परिवार के माता–पिता को ही दिया जाना चाहिए ताकि सहयोग राशि को कन्या के विवाह पर खर्च करने में माता–पिता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सहयोग राशि का भुगतान ड्राफ्ट/चैक किसी माध्यम से हो लेकिन शादी के समय हो तो कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़े जिससे राशि का उपयोग समय पर होने से उपयोगी साबित होगा।

(5) **अनुदान राशि के सम्बन्ध में :**

साक्षात्कार किये गये समस्त लाभार्थी उत्तरदाताओं एवं अधिकारियों ने प्रदत्त अनुदान राशि को बढ़ाये जाने हेतु सुझाव दिया है उनके अनुसार सहायता राशि 20,000/– रुपये से 30,000/– रुपये तक प्रदान किये जाने हेतु मत व्यक्त किया है इसका कारण वर्तमान मंहगाई को देखते हुए शादी में अधिक खर्चा होने से कर्ज ज्यादा लेना बतलाया। यदि राज्य स्तर पर उन्हें अधिक सहायता राशि प्रदान की जाती है तो उनको अधिक आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा। आर्थिक तंगी और मंहगाई दर को देखते हुए राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

(6) **अन्य कमियाँ एवं सुझाव :**

I. योजना का लाभ उन्हीं गांवों/क्षेत्रों में ज्यादा पाया गया जहाँ पर जागरूक व्यक्ति ज्यादा है। जहाँ पर जागरूक व्यक्ति नहीं है वहाँ के व्यक्ति योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं अतः योजना का लाभ अन्त्योदय परिवार तक पहुंचाने हेतु ग्राम/पंचायत समिति स्तर पर योजना का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

II. सहयोग योजनान्तर्गत लाभार्थियों ने आवेदन की प्रक्रियान्तर्गत शपथ–पत्र एवं अभिशंषा की कमियाँ पायी गई है जिनके निराकरण के पश्चात् स्वीकृति एवं भुगतान में काफी समय लगना बतलाया है। इस पर विभाग को ध्यान देकर समय पर भुगतान करवाया जाना चाहिए।

4.2.0 **सारांश :**

4.2.1 योजना की उपयोगिता को देखते हुए अप्रेल 2008 में बजट घोषणा की जाकर विस्तार किया गया तथा आशा की गयी कि योजना से बी.पी.एल. परिवार समय पर लाभान्वित होंगे तथा कन्या की विवाह उम्र में भी बढ़ोत्तरी होगी। सैम्पल आधार पर चयनित लाभार्थियों से जानकारी प्राप्त हुयी कि एक भी परिवार को योजना की जानकारी नही है। योजना की जानकारी के स्त्रोत छात्रावास अधीक्षक, सम्बन्धी, रिश्तेदार, ग्राम पंचायत व अन्य स्त्रोत रहे है तथा आवेदन पत्र भी विभिन्न स्तरों से भरवाये गये है जिनके फलस्वरूप आवेदन पत्रों में कुछ कमियाँ भी विभाग ने चिन्हित् कर दुरस्ती उपरान्त भुगतान किया गया है। आवेदन करने के बाद नियमानुसार 15 दिवस की अवधि में भुगतान नहीं हो पाया है। यद्यपि स्टाफ की कमी एवं कार्य अधिकता के मध्यनजर भुगतान की अवधि आवेदन/शादी के छः माह या अधिक तक पायी। भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है जिसके लिए आवेदनकर्त्ता विभाग के बार–बार चक्कर लगाता है। इस प्रकार राशि का उपयोग योजना के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो पाता है। अधिकांश अनुसूचित जाति परिवारों को रुपये 10,000/– का लाभ लेने की जानकारी नहीं हो पायी है। अन्य जातियों के बी.पी.एल. परिवारों ने

भी योजना का लाभ उठाया है। बी.पी.एल. परिवारों को आर्थिक सहायता से सम्बल मिला है लेकिन विवाह के समय राशि उपलब्ध करायी जावे तो अधिक उपयोगी साबित होगी। विवाहोत्तर सहायता राशि प्राप्त होने पर 50.37 प्रतिशत परिवारों ने घरेलू सामान/खर्चे एवं 49.63 प्रतिशत परिवार शादी की उधारी/कर्ज चुकाने पर व्यय करना पाया गया। योजना के तहत लाभार्थी वर्ग 67.65 प्रतिशत का मुख्य व्यवसाय मजदूरी पाया गया तथा 11.03 प्रतिशत परिवारों का गौण व्यवसाय भी मजदूरी पाया गया। योजना के प्रचार–प्रसार एवं समय पर सहायता राशि भुगतान कराने की आवश्यकता जान पड़ती है। नवीन परिपेक्ष्य में विभाग का कार्य जिला परिषदों को हस्तान्तरित की प्रक्रिया में है जिससे पंचायत समिति स्तर पर ही योजनान्तर्गत आवेदन पत्र एकत्र करने से सहायता राशि वितरण पक्ष पर कार्य होने से योजना प्रभावी रूप से संचालित किये जाने पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

————

परिशिष्ट–I

जिलेवार सहयोग योजनान्तर्गत विवाह योग्य कन्याओं पर वर्षवार व्यय की गई राशि एवं लाभान्वित संख्या का विवरण

क्र. सं.	जिला	वर्षवार व्यय राशि एवं लाभान्वित							
		2005–06		2006–07		2007–08		कुल योग	
		व्यय राशि (लाख रुपयों में)	लाभान्वित (संख्या)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)	लाभान्वित (संख्या)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)	लाभान्वित (संख्या)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)	लाभान्वित (संख्या)
1.	जयपुर	–	–	0.80	16	0.95	19	1.75	35
2.	जोधपुर	0.60	12	1.60	32	2.70	54	4.90	98
3.	कोटा	5.95	119	5.95	119	2.65	53	14.55	291
4.	उदयपुर	0.10	2	0.50	10	0.10	2	0.70	14
5.	बीकानेर	1.35	27	4.75	95	9.80	196	15.90	318
6.	अजमेर	–	–	0.45	9	1.65	33	2.10	42
7.	भरतपुर	3.00	60	9.00	180	10.00	200	22.00	440
8.	भीलवाड़ा	0.10	2	0.45	9	0.25	5	0.80	16
9.	बारां	0.65	13	4.25	85	2.00	40	6.90	138
10.	चित्तौडगढ़	0.15	3	0.55	11	0.40	8	1.10	22
11.	बांसवाड़ा	1.00	20	1.85	37	0.80	16	3.65	73
12.	डूंगरपुर	1.00	20	0.25	5	0.90	18	2.15	43
13.	सीकर	0.35	7	1.90	38	1.70	34	3.95	79
14.	अलवर	3.25	65	5.15	103	9.00	180	17.4	348
15.	श्रीश्रीगंगानगर	1.50	30	6.00	120	14.65	293	22.15	443
16.	जालौर	0.05	1	0.55	11	0.85	17	1.45	29
17.	पाली	–	–	0.80	16	1.20	24	2.00	40
18.	बाड़मेर	0.10	2	0.50	10	0.90	18	1.50	30
19.	जैसलमेर	0.35	7	1.70	34	2.00	40	4.05	81
20.	टोंक	0.25	5	2.05	41	1.80	36	4.10	82
21.	सवाईमाधोपुर	1.05	21	0.60	12	3.00	60	4.65	93
22.	सिरोही	Nil	Nil	0.65	13	0.90	18	1.55	31
23.	झुन्झुनू	0.45	9	2.45	49	2.00	40	4.90	98
24.	चूरू	0.10	2	1.20	24	2.75	55	4.05	81
25.	हनुमानगढ़	1.20	24	3.00	60	6.95	139	11.15	223
26.	झालावाड़	0.00	0	0.40	8	0.65	13	1.05	21
27.	बून्दी	0.10	2	0.65	13	0.85	17	1.60	32
28.	नागौर	2.10	42	2.00	40	3.25	65	7.35	147
29.	दौसा	1.00	20	4.40	88	3.50	70	8.90	178
30.	करौली	1.55	31	4.00	80	5.85	117	11.40	228
31.	राजसमन्द	0.60	12	1.50	30	0.50	10	2.60	52
32.	धौलपुर	0.15	3	1.65	33	1.20	24	3.00	60
	योग	**28.05**	**561**	**71.55**	**1431**	**95.70**	**1914**	**195.30**	**3906**

स्त्रोत–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–II

जिलेवार सहयोग योजनान्तर्गत विवाह योग्य कन्याओं पर वर्षवार व्यय की गई राशि एवं लाभान्वित संख्या का विवरण

क्र. सं.	संभाग	जिला	वर्षवार व्यय राशि एवं लाभान्वित							
			2005–06		2006–07		2007–08		कुल योग	
			व्यय राशि (लाख रुपयों में)	लाभान्वित (संख्या)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)	लाभान्वित (संख्या)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)	लाभान्वित (संख्या)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)	लाभान्वित (संख्या)
1.	जोधपुर	जालौर	0.05	1	0.55	11	0.85	17	1.45	29
		जोधपुर	0.60	12	1.60	32	2.70	54	4.90	98
		पाली	–	–	0.80	16	1.20	24	2.00	40
		सिरोही	Nil	Nil	0.65	13	0.90	18	1.55	31
		बाड़मेर	0.10	2	0.50	10	0.90	18	1.50	30
		जैसलमेर	0.35	7	1.70	34	2.00	40	4.05	81
		योग	**1.10**	**22**	**5.80**	**116**	**8.55**	**168**	**15.45**	**306**
2.	अजमेर	भीलवाड़ा	0.10	2	0.45	9	0.25	5	0.80	16
		नागौर	2.10	42	2.00	40	3.25	65	7.35	147
		अजमेर	–	–	0.45	9	1.65	33	2.10	42
		टोंक	0.25	5	2.05	41	1.80	36	4.10	82
		योग	**2.45**	**49**	**4.95**	**99**	**6.95**	**139**	**14.35**	**287**
3.	कोटा	बारां	0.65	13	4.25	85	2.00	40	6.90	138
		कोटा	5.95	119	5.95	119	2.65	53	14.55	291
		झालावाड़	0.00	0	0.40	8	0.65	13	1.05	21
		बून्दी	0.10	2	0.65	13	0.85	17	1.60	32
		योग	**6.70**	**134**	**11.25**	**225**	**6.15**	**123**	**24.1**	**482**
4.	जयपुर	अलवर	3.25	65	5.15	103	9.00	180	17.4	348
		झुन्झुनू	0.45	9	2.45	49	2.00	40	4.90	98
		दौसा	1.00	20	4.40	88	3.50	70	8.90	178
		सीकर	0.35	7	1.90	38	1.70	34	3.95	79
		जयपुर	–	–	0.80	16	0.95	19	1.75	35
		योग	**5.05**	**101**	**14.70**	**294**	**17.15**	**343**	**36.90**	**738**
5.	उदयपुर	डूंगरपुर	1.00	20	0.25	5	0.90	18	2.15	43
		बांसवाड़ा	1.00	20	1.85	37	0.80	16	3.65	73
		उदयपुर	0.10	2	0.50	10	0.10	2	0.70	14
		राजसमन्द	0.60	12	1.50	30	0.50	10	2.60	52
		चित्तौडगढ़	0.15	3	0.55	11	0.40	8	1.10	22
		योग	**2.85**	**57**	**4.65**	**93**	**2.70**	**54**	**10.20**	**204**
6.	भरतपुर	करौली	1.55	31	4.00	80	5.85	117	11.40	228
		भरतपुर	3.00	60	9.00	180	10.00	200	22.00	440
		सवाईमाधोपुर	1.05	21	0.60	12	3.00	60	4.65	93
		धौलपुर	0.15	3	1.65	33	1.20	24	3.00	60
		योग	**5.75**	**115**	**15.25**	**305**	**20.05**	**401**	**41.05**	**821**
7.	बीकानेर	हनुमानगढ़	1.20	24	3.00	60	6.95	139	11.15	223
		श्रीश्रीगंगानगर	1.50	30	6.00	120	14.65	293	22.15	443
		चूरू	0.10	2	1.20	24	2.75	55	4.05	81
		बीकानेर	1.35	27	4.75	95	9.80	196	15.90	318
		योग	**4.15**	**83**	**14.95**	**299**	**34.15**	**683**	**53.25**	**1065**
		महायोग	**28.05**	**561**	**71.55**	**1431**	**95.70**	**1914**	**195.30**	**3906**

परिशिष्ट–III

चयनित लाभार्थी उत्तरदाताओं के परिवार के लाभान्वित कन्याओं का वर्षवार एवं सहायता राशि का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभान्वित उत्तरदाता	मार्च 2008 तक लाभान्वित अनुसूचित जाति की कन्याएं	अप्रेल 2008 से मार्च 2009 तक लाभावित कन्या में			
				अनुसूचित जाति की		अन्य	कुल लाभान्वित कन्याऐं
				21 वर्ष से कम की कन्याऐं	21 वर्ष से अधिक की कन्याऐं		
1.	अलवर	40	39	8	1	8	56
2.	बांसवाड़ा	30	18	2	2	11	33
3.	भरतपुर	47	50	3	3	9	65
4.	श्रीगंगानगर	40	29	5	4	3	41
5.	जोधपुर	40	28	8	13	3	52
6.	कोटा	39	25	8	1	10	44
7.	नागौर	36	27	7	11	4	49
	योग	**272**	**216**	**41**	**35**	**48**	**340**

परिशिष्ट–IV

बी.पी.एल. कार्डधारी का कार्ड बनवाने का वर्ष एवं कार्ड नम्बर

जिला–अलवर

क्र.सं.	वर्ष	कार्ड नम्बर
1.	2005	318
2.	2005	497
3.	2005	221
4.	2005	78 / 17
5.	2003	218
6.	2005	88
7.	2005	202
8.	2005	227
9.	2006	79
10.	2004	390
11.	2005	43 / 12
12.	2002	514
13.	2003	830
14.	2004	281
15.	2005	42 / 112
16.	2005	1945
17.	2002	554
18.	2002	2479
19.	2002	8528487
20.	2002	522
21.	2003	435
22.	2003	121511
23.	2003	791
24.	2003	70
25.	2003	161
26.	2005	192
27.	2005	193
28.	2005	19 / 13
29.	2005	20 / 13
30.	2003	47 / 15
31.	2002	290
32.	1997	116
33.	2003	152
34.	2005	123
35.	2001	655
36.	2003	747
37.	2003	48
38.	2003	119
39.	2005	101
40.	2002	175

बी.पी.एल. कार्डधारी का कार्ड बनवाने का वर्ष एवं कार्ड नम्बर

जिला–बांसवाड़ा

क्र.सं.	वर्ष	कार्ड नम्बर
1.	2000	21163
2.	2000	21252
3.	2000	21251
4.	2000	21165
5.	2000	21301
6.	2000	21143
7.	2000	12094
8.	2002	219443
9.	2000	21151
10.	2000	12343
11.	2002	1540615
12.	2000	3177
13.	2000	3201
14.	2002	1540630
15.	2002	1540784
16.	2000	16581
17.	2002	1540660
18.	2000	16582
19.	2002	1540686
20.	2002	1540455
21.	2003	253
22.	2003	1272
23.	2003	213
24.	2003	116
25.	2003	147
26.	2003	1081
27.	2003	219
28.	2005	1886
29.	NA	NA
30.	2003	444

बी.पी.एल. कार्डधारी का कार्ड बनवाने का वर्ष एवं कार्ड नम्बर

जिला–भरतपुर

क्र.सं.	वर्ष	कार्ड नम्बर
1.	2002	NA
2.	2002	94 / 250
3.	2002	1587
4.	2002	3 / 31
5.	2002	3 / 33
6.	2002	330
7.	2002	3321
8.	2002	3315
9.	2002	2121
10.	2002	54 / 10
11.	2002	2310
12.	2002	93 / 13
13.	2002	197 / 18
14.	2002	114 / 27
15.	2006	20 / 12
16.	2003	98 / 117
17.	2002	189
18.	2002	2757
19.	2002	1822
20.	2002	1784
21.	2002	411
22.	2002	913
23.	2002	3136
24.	2002	4866
25.	2002	5066683
26.	2002	147
27.	2002	2380 / 44
28.	2002	119 / 84
29.	2003	165 / 3
30.	2002	351
31.	2003	549
32.	2002	1869
33.	2002	3500
34.	2003	822
35.	2002	1785
36.	2002	4887
37.	2002	69
38.	2002	4089
39.	2002	5193
40.	2003	441
41.	2005	674
42.	2003	526
43.	2003	620
44.	2003	594
45.	2003	203 / 18
46.	2002	946
47.	2002	121

बी.पी.एल. कार्डधारी का कार्ड बनवाने का वर्ष एवं कार्ड नम्बर

जिला–श्रीश्रीगंगानगर

क्र.सं.	वर्ष	कार्ड नम्बर
1.	1997	2628
2.	1997	1674
3.	2002	6057
4.	2002	117
5.	2003	4436
6.	2003	2934
7.	2002	614
8.	2003	5698
9.	2003	3722
10.	2002	180
11.	1997	178
12.	1997	1409
13.	2002	984 / 260
14.	2002	674 / 78
15.	2003	421
16.	2003	440
17.	2003	1389
18.	2003	706
19.	2002	696 / 178
20.	2003	555
21.	2002	3960
22.	2001	858
23.	2001	2918
24.	2002	5123
25.	2003	2799
26.	2002	2879
27.	2002	7346
28.	2002	3077
29.	2008	946
30.	2002	465
31.	2001	47 / 14
32.	2005	51 / 16
33.	2003	471
34.	2005	302 / 26
35.	2005	130 / 82
36.	2006	184 / 113
37.	2002	106 / 27
38.	2003	282
39.	2005	18 / 14
40.	2005	177 / 83

बी.पी.एल. कार्डधारी का कार्ड बनवाने का वर्ष एवं कार्ड नम्बर

जिला–जोधपुर

क्र.सं.	वर्ष	कार्ड नम्बर
1.	2005	726
2.	2005	1104
3.	2005	66
4.	2005	657
5.	2005	330
6.	2005	314
7.	2005	290
8.	2001	50
9.	2005	582
10.	2006	1242
11.	2007	87
12.	NA	NA
13.	2007	112
14.	2007	357
15.	NA	NA
16.	2005	146
17.	2005	46
18.	2005	49
19.	2007	124
20.	2005	130
21.	NA	NA
22.	2001	1125
23.	NA	NA
24.	2003	4008
25.	2001	1381
26.	2001	250
27.	2004	666
28.	NA	NA
29.	2005	1136
30.	2001	5715
31.	2001	8617
32.	NA	NA
33.	2002	10217
34.	2001	117
35.	2002	72901
36.	2008	82
37.	2002	7271
38.	NA	NA
39.	NA	NA
40.	2007	71650

बी.पी.एल. कार्डधारी का कार्ड बनवाने का वर्ष एवं कार्ड नम्बर

जिला–कोटा

क्र.सं.	वर्ष	कार्ड नम्बर
1.	1997	552
2.	1997	732
3.	1997	562
4.	1997	356
5.	2002	8920
6.	2002	8922
7.	2002	7006
8.	2002	6262
9.	2002	6233
10.	2002	6559
11.	1997	7175
12.	1997	7357
13.	1997	7361
14.	1997	7349
15.	2002	20784
16.	2002	21003
17.	2002	20832
18.	2002	23654
19.	2002	23644
20.	2002	23360
21.	2003	553 / 47
22.	2003	850 / 52
23.	2003	849 / 52
24.	2003	848 / 52
25.	2003	87 / 36
26.	2003	737 / 37
27.	2003	786 / 37
28.	2003	193 / 37
29.	2003	1121 / 37
30.	2003	38 / 39
31.	2002	32 / 97
32.	2002	203 / 82
33.	2002	5 / 04
34.	2002	196 / 80
35.	2002	238 / 98
36.	2002	225 / 92
37.	2002	130 / 89
38.	2002	131 / 89
39.	2002	161 / 66

बी.पी.एल. कार्डधारी का कार्ड बनवाने का वर्ष एवं कार्ड नम्बर

जिला–नागौर

क्र.सं.	वर्ष	कार्ड नम्बर
1.	2002	7067
2.	2002	6945
3.	2002	50
4.	2002	51
5.	2002	11
6.	2002	52
7.	2002	563
8.	2002	6656
9.	2002	460
10.	2002	527
11.	2002	4713
12.	1997	2766
13.	2002	5633
14.	2002	5652
15.	2002	4632
16.	2002	1078
17.	2002	1199
18.	2002	4667
19.	2002	4635
20.	2002	5642
21.	2003	1779
22.	2005	1115
23.	2005	1096
24.	2005	1087
25.	2005	1220
26.	2003	323/68
27.	2003	251
28.	2003	317
29.	2003	274
30.	2005	295
31.	2002	2
32.	2007	40/10
33.	2005	136
34.	2005	82
35.	2005	203
36.	2005	185/3